रजिस्ट्री सं. डी. एल.--33001/97 REGISTERED NO. DL--33001/97

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. ...
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 1997 (पौष 28, 1918)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 1996 (PAUSA 28, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	57
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	39
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	91
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	33
भाग III--खण्ड 2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	105
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिसमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	193
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	7
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	57
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	39
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	91
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*

	PAGE
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	33
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	105
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	193
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	7
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Files not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1997

सं. 93-प्रेस/96—राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बी. एम. प्रधान,
सूबेदार मेजर,
26 असम राइफल्स,
दीमापुर (नागालैण्ड)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28-6-1995 को लगभग 2300 बजे अपराह्न को, एस. एस., सार्जेंट सोन्दो लोथा, एक खूंखार उग्रवादी जो एन.एस.सी.एन. (आई.-एम) गुट के "डेथ स्क्वाड" का सदस्य था, की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। हालांकि आपरेशन के लिए कोई अफसर या जवान उपलब्ध नहीं थे, फिर भी सूबेदार मेजर बी. एम. प्रधान ने तुरत-फुरत, धोबियों, रुफाई वालों, नाईयों और अन्य ट्रेडमैनों को मिलाकर एक सेक्शन बनायी और और चल पड़े। वह रास्ते में एक अफसर से मिले और उनसे, आपरेशन के लिए कुछेक जवान उपलब्ध करने का अनुरोध किया और पीटी को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग का नेतृत्व अफसर ने किया और दूसरे का नेतृत्व श्री प्रधान ने किया। वे शहर के बाहरी किनारे पर पहुंचे और दो अलग-थलग मकानों को घेरा, जहां कुख्यात उग्रवादियों के छिपे होने की बात कही गयी थी। एक मकान को 6 जवानों द्वारा घेर लिया गया। श्री प्रधान 4 जवानों के साथ, तलाशी के लिए घर के अन्दर घुसे। जब तलाशी दल प्रथम तल पर पहुंचा तो एक व्यक्ति खिड़की से बाहर कूद कर जंगल की तरफ भागने लगा। उस समय श्री प्रधान एक पाईप के जरिए फिसलते हुए नीचे उतरे और इस प्रक्रिया में जख्मी हो गए, लेकिन घुटना जख्मी हो जाने के बावजूद उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया और घेरा डालने वाली पार्टी को अपने पीछे आने के लिए कहा। लगभग 700 मीटर तक पीछा करने के बाद, दो जवानों ने उस व्यक्ति को दबोच लिया। पूछ-ताछ करने पर उसने स्वयं को एस.एस. सार्जेंट, सोन्दो लोथा एस. एस. सी.एन. (आई-एम) के "डेथ स्क्वाड" का सदस्य बताया। यह "डेथ-स्क्वाड" शहर में अति विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या का जिम्मेवार था।

इस मुठभेड़ में, श्री बी. एम. प्रधान, सूबेदार मेजर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-6-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 94-प्रेस/96—राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री वी. एस. सलारिया,
राइफलमैन,
10, असम राइफल्स

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए 24 जून, 1995 को बाराबिला में एक संयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया था। लगभग 1120 बजे, पहली बार सामना होने पर, पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी गयी और दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी में एक राष्ट्र-विरोधी तत्व गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। राइफलमैन सलारिया अपनी कम्पनी के साथ, राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ मुठभेड़ में लगी टुकड़ियों की सहायता के लिए तुरन्त घटनास्थल पर गए। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, वह अपने कम्पनी कमान्डर के साथ, उग्रवादियों के छिपने के स्थान के नजदीक चले गए और सटीक गोली-बारी करके उन्हें उलझाए रखा, जिससे कम्पनी कमांडर को उग्रवादियों को छिपने के स्थान पर घेरा डालने में अन्य पार्टियों के संचालन में मदद

मिली। इस वीरतापूर्ण और साहसिक कारवाई के परिणामस्वरूप चार उग्रवादी मारे गए और तीन ए.के.-47 राइफलें, मैगजीन गोला-बारूद और युद्ध सामग्री किस्म का अन्य स्टोर बरामद हुआ। मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त अब्दुल खालिक गनी, मुश्ताक अब्दुल नीन मो. अमीन पारे और गुलाम नबी पारे मोलवी के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री बी. एस. सलारिया, राइफलमैन ने अदम्य वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-6-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 95-प्रेस/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री श्रीकिशन, निरीक्षक,
11वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री आर. थंगापान्डी, कांस्टेबल,
119वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

14-9-94 को निरीक्षक श्री श्रीकिशन के अधीन कांस्टेबल आर. थंगापान्डी सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों का एक सैक्शन 0600 बजे से थांगल बाजार, इम्फाल में गश्त ड्यूटी पर था। लगभग 0715 बजे एक उग्रवादी अचानक पीछे से आया और कांस्टेबल आर. थंगापान्डी पर बहुत निकट से गोली चलाई जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बावजूद कांस्टेबल थंगापान्डी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो राउंड फायर किए जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर उस उग्रवादी की ओर से गोलियां चलनी बंद हो गई और साथ ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक सतर्क हो गए। इसी बीच, एक ट्रक के पीछे छुपे हुए इस उग्रवादी ने निकट से श्री श्रीकिशन पर रिवाल्वर से गोली चलाई। श्री श्रीकिशन ने भी इसका जवाब दिया। निशाना चूक जाने पर वह उग्रवादी, निरीक्षक श्री श्रीकिशन पर झपटा। निरीक्षक, श्रीकिशन ने अपनी जान की परवाह किए बिना, उग्रवादी को दूर धकेला और साथ ही साथ गोली भी चला दी जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी सड़क पर गिर गया और जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत उग्रवादी, जिसकी पहचान चिंगंगा बीरेन उर्फ सरजीत, के रूप में की गई जो कि एक कट्टर पी.एल.ए. सदस्य था, उसके पास से 3 जिंदा कारतूसों सहित .38 बोर का एक रिवाल्वर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री श्रीकिशन, निरीक्षक, और श्री आर. थंगापान्डी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 14-9-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 96-प्रेस/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री ए. पलानीवेलु,
उप-निरीक्षक/कार्यपालक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट,
एन.पी.पी.सी.एल., तुली, नागालैंड।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

19-6-1995 को श्री ए. पलानीवेलु, उप-निरीक्षक (कार्यपालक) चार अन्य के साथ, नागालैंड कागज एवं लुगदी कं., लिमिटेड तुली के कोष सेक्शन में गार्ड ड्यूटी पर थे। लगभग 1015 बजे हथियारों से लैस अज्ञात व्यक्तियों के एक गिरोह ने वित्त प्रभारी से (एन.पी.पी.सी.एल) के रोकड़ कक्ष की चाबी ले ली और उसे बंधक बना लिया। रात्रि-ड्यूटी पर आ रहे एक कांस्टेबल को भी बंधक बना लिया गया। लगभग 2340 बजे ए.के.-47 राइफलों से लैस उस गिरोह ने रोकड़ कक्ष में ड्यूटी कर रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गार्डों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। इस अचानक हमले में उप-निरीक्षक, पलानीवेलु को एक गोली लगी जो उनके पेट को भेदते हुए बाहर निकल गई। चोट की परवाह किए बिना, उप-निरीक्षक, पलानीवेलु ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई और अपने अधीनस्थों को भी गोली चलाने का आदेश दिया, वे तब तक जवाबी हमले का मार्गदर्शन करते रहे जब तक कि वे जमीन पर गिर नहीं पड़े। करीब 10 मिनट तक चले जवाबी हमले में एन.एस.सी.एन. के दो उग्रवादी बुरी तरह घायल हो गए जबकि अन्य उग्रवादी, अपने घायल साथियों को लेकर मुठभेड़ स्थल से भाग गए लेकिन अपने वाहन पीछे छोड़ गए। एक जीप तथा एक मोटर-साईकिल घटनास्थल से बरामद हुए। उप-निरीक्षक, पलानीवेलु जिनके साहसपूर्ण प्रतिरोध के कारण 20 लाख रुपये लूट जाने से बचाए जा सके, को तुरन्त जोरहाट स्थित थल सेना अस्पताल ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री ए. पलानीवेलु, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है, तथा फलस्वरूप नियम 5 के

अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-6-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 97-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एल. देबेन सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
त्वरित कार्रवाई पुलिस बल,
जिला-इंफाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7-7-1995 को सूचना मिली कि पी.एल.ए.के. कुछ भूमिगत कार्यकर्ता आधुनिकतम हथियारों से लैस होकर थांगखेई, थंगापसमेपाल और डामोन लीकाई आदि क्षेत्रों में खुलेआम घूम रहे हैं । पीछा करने के लिए तुरंत दो पुलिस दल बनाए गए—एक दल का नेतृत्व इंफाल थाने के प्रभारी, के. तोम्बा सिंह ने किया और दूसरे का, त्वरित कार्रवाई पुलिस बल के उप-निरीक्षक, एल. देबेन सिंह ने लगभग 12.20 बजे तीन युवकों को मोटर-साईकिल पर आते देखा गया । पुलिस को देखकर वे जल्दी से एक गली की तरफ मुड़ गए । उनकी संदेहास्पद गतिविधियों को भांपकर दोनों पुलिस दलों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्तियों में से एक ने पुलिस दल पर गोलीबारी की । पुलिस कार्मिकों ने भी इसका जवाब दिया । पुलिस गोलाबारी के परिणामस्वरूप मोटर साईकिल के चालक के पैर में अनेक गोलियां लगीं और सभी तीनों जमीन पर गिर गए । के. तोम्बा सिंह ने घायल कार्यकर्ता को काबू कर लिया । तथापि, शेष दोनों अपराधी अलग-अलग दिशाओं में नजदीक के घरों की तरफ भागे । उनमें से एक का पीछा उप-निरीक्षक, देबेन सिंह और उनके दल द्वारा किया गया । इस दल ने घर-घर तलाशी ली । तलाशी के दौरान उन्होंने एक युवक को साईकिल पर बच निकलने की कोशिश करते देखा । परन्तु उप-निरीक्षक देबेन सिंह ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया । तीसरे युवक को भी दूसरे पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों की पहचान (1) लाईश्रम बिजय सिंह उर्फ पौना (2) मैरंगथेम सूरज सिंह उर्फ समरजीत और (3) एम. इबोम्चा उर्फ राजन के रूप में की गई । ये तीनों व्यक्ति पी.एल.ए. के लड़ाकू ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे और बड़ी संख्या में जघन्य अपराधों में संलिप्त थे । तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से अनेक जिंदा कारतूसों के साथ 9 एम.एम. की तीन पिस्तौलें बरामद हुईं ।

इस मुठभेड़ में, श्री एल. देबेन सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-7-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 98-प्रेस/96—राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पंचानन पात्रा, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
राउरकेला

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

11 दिसम्बर, 1994 को पूर्वाह्न लगभग 10 बजे स्कूटर पर सवार कांस्टेबल पात्रा ने बेबेगांव बस्ती के निवासियों का हो-हल्ला सुना और दो व्यक्तियों को गांव की ओर से भागकर आते और एक आटो-रिक्शा पर बैठते देखा । उसने तुरन्त इस आटो-रिक्शा में जा रहे दो कट्टर अपराधियों, मो. मकसूद आलम तथा मो. नर्गिस आलम, जिन्होंने ग्रामवासियों से उन्हें आतंकित कर दिया था, का पीछा किया और पुरजोर पीछा करने के बाद आटो-रिक्शा को तरकेरा क्रासिंग के नजदीक रोक लिया । उसने तुरन्त ही अभियुक्तों में से एक मो. नर्गिस आलम नामक अभियुक्त पर काबू करके उसे निहत्था कर दिया । इतने में ही सह-अभियुक्त मो. मकसूद आलम ने भागने के प्रयास में अपनी पिस्तौल से सिपाही पर गोली चला दी जिससे सिपाही पात्रा बेहोश हो गया और घायलावस्था में ही उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया ।

बाद में गांववालों ने 2 पिस्तौलों तथा एक खाली कारतूस के साथ उपर्युक्त दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री पंचानन पात्रा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-12-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 99-प्रेस/96—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री उदय कुमार,
पुलिस उप-निरीक्षक,
दारांग जिला ।

श्री एन. एन. राय,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
दारांग जिला ।

श्री यू. ए. अली,
कांस्टेबल,
12वीं बटालियन, असम पुलिस,
सोनितपुर जिला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24-10-1993 को दोपहर लगभग 12 बजे थाना सीपाझार, जिला दारांग के प्रभारी को ग्राम नीज सीपाझार के एक कार्यकर्ता के घर पर दो कट्टर उल्फा कार्यकर्ताओं के होने की सूचना मिली । उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने तुरन्त ही उप-निरीक्षक, यू. के. राय, के नेतृत्व में एक खातागार दल तैनात किया जिसमें उप-निरीक्षक, एन. एन. राय तथा कांस्टेबल, यू.ए. अली सहित एक सहायक उप-निरीक्षक, एक हवलदार तथा तीन कांस्टेबल थे । पुलिस दल युक्तिपूर्वक उस घर तक पहुंचा । पुलिस दल को देखकर उल्फा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी और समीप स्थित धान के खेतों की तरफ भाग गए । भागते हुए उल्फा कार्यकर्ताओं की तरफ से गोलीबारी होने के बावजूद पुलिस दल ने उनका पीछा किया । पुलिस दल ने भी कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की जिसके फल-स्वरूप एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया जबकि दूसरा घायल हो गया ।

मृत उग्रवादी की पहचान ज्योति सैकिया उर्फ शंकर बरुआ के रूप में तथा घायल उग्रवादी की पहचान किरन नाथ उर्फ अनिबन चेटिया (कार्यालय सचिव, जिला दारांग, जो 4-4-1993 को गुवाहाटी मेडिकल कालेज से भाग गया था) के रूप में हुई । तलाशी के दौरान पुलिस दल ने नकदी के साथ-साथ निम्नांकित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए :—

1. 9 एम. एम. के 40 राउंडों से भरी दो मैगजीनों सहित एक स्टेनगन ।
2. एक मैगजीन सहित 9 एम. एम. की एक पिस्तौल ।
3. दो हथगोले ।
4. 3071/- रु. नगद ।

इस मुठभेड़ में श्री उदय कुमार, पुलिस उप-निरीक्षक, श्री एन. एन. राय, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री यू.ए. अली, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-10-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 100-प्रेस/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री कुलदीप सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
73 बटालियन, सी. सु. ब. ।

श्री सुरेश कुमार,
कांस्टेबल,
73 बटालियन, सी. सु. ब. ।

श्री पी. टी. कृष्ण कुमार,
कांस्टेबल,
73 बटालियन, सी. सु. ब. ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7-8-1994 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर, गांव पेटसीर में एक मस्जिद में छिपे कट्टर उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष छानबीन और तलाशी अभियान की योजना बनाई गई । उस इलाके में छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर पहले हथगोले फेंके और फिर भारी गोली-बारी की जिससे सीमा सुरक्षा बल के तीन कार्मिक गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए । स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए, दल को पुनर्गठित किया गया और मस्जिद के चारों तरफ की भीतरी घेराबंदी कड़ी कर दी गई । तलाशी दल ने उग्रवादियों से आत्म-समर्पण करने को कहा परन्तु ऐसा करने की बजाए उन्होंने खिड़कियों से तलाशी दल पर कुछ गोलियां दागी । तत्पश्चात् उग्रवादियों के साथ भारी गोली-बारी हुई और सीमा सुरक्षा बल के कुछ और कर्मियों को गोलियां लगी । इसी बीच सीमा सुरक्षा बल के उप-महानिरीक्षक मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया । चूंकि उग्रवादी अब भी अडिग थे इसलिए यह निश्चय किया गया कि मस्जिद के अंदर हथगोले फेंके जाएं । उग्रवादियों ने गोलियां चलाना जारी रखा । दोनों ओर से गोलियां चलने के दौरान सीमा सुरक्षा बल का एक अन्य कर्मी

घायलावस्था में ही चला बसा और सीमा सुरक्षा बल के एक अन्य कार्मिक को गोलियां लगीं । चूंकि उग्रवादी लगातार गोलियां चला रहे थे इसलिए यह निश्चय किया गया कि उनके छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया जाए । उप-निरीक्षक कुलदीप सिंह की कमान में सर्वश्री सुरेश कुमार और कृष्ण कुमार की एक टीम ने मस्जिद के मुख्य हाल पर धावा बोल दिया । इस पर लगभग 15 मिनट तक भीषण मुठभेड़ होती रही ।

इस मुठभेड़ के दौरान तीनों कमांडों की बुलेट प्रूफ जैकेटों पर अनेक गोलियां आकर लगीं परन्तु वे चमत्कारिक रूप से बच गए । क्षेत्र की तलाशी के दौरान 3 शव और 3 ए.के.-47/56 राइफलें, ए.के. श्रेणी की 9 मैगजीनें, ए.के. श्रेणी के 12 कारतूस, 1 वायरलैस सैट और ए.के. श्रेणी के 56 कारतूसों के खोखे बरामद हुए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में मोहम्मद अमीन गनाई, गुलाम महम्मद हसन और महम्मद अमीन लोन के रूप में हुई, ये सभी पाकिस्तान समर्थक गुट हरकत-उल-अंसार से संबद्ध थे ।

इस मठभेड़ में, श्री कुलदीप सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, सर्वश्री सुरेश कुमार, कांस्टेबल और पी. टी. कृष्ण कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-8-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 101-प्रेस/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री श्याम सिंह ,
हैड-कांस्टेबल/चालक,
89 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19-10-1995 को लगभग 0700 बजे केन्द्रीय स्कूल, लालमफालपट, इम्फाल की यूनिट स्कूल बस, 19 स्कूली बच्चों और 9 अन्य रंकों को लेकर यूनिट परिसर से निकली । लगभग 0740 बजे जब यह बस इम्फाल नगर से लगभग 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांव बांगबाल से होकर गुजर रही थी तभी इस पर संदिग्ध भूमिगत उग्रवादियों की ओर से अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की गई जिससे श्री सिंह की जांघ और पैट में घाव हो गए । बड़ी जोर से खून बहने लगा और बस पर लगातार गोलियां चलाई जाती रहीं । यद्यपि, बस पर उग्रवादियों के एक अन्य ग्रुप द्वारा लगातार गोलियां चलाया जाना जारी था फिर भी स्कूली बच्चों और अन्य सवारियों को जान बचाने के लिए चालक श्याम सिंह बस को चलाते चले गए । उग्रवादी, बस पर लगातार गोलियां चलाते रहे और उन्होंने सामने वाले दाहिने टायर को पंक्चर कर दिया । परन्तु श्री सिंह ने वाहन की गति बढ़ा दी और बस को, घात लगाए जाने के स्थान से लगभग 4 कि. मी. दूर थाउबल स्थित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक ले आए । तथापि, उग्रवादी कुछ दूरी तक बस का पीछा करते रहे और बस को रोककर सभी सवारियों को मार डालने के प्रयास में से लगातार स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते रहे । परन्तु वे अपनी योजना में सफल न हो सके क्योंकि श्री सिंह ने बस नहीं रोकी । इस घटना में श्री सिंह की दो बेटियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक लांस नायक मारा गया । श्री श्याम सिंह सहित नौ व्यक्ति घायल हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री श्याम सिंह, हैड-कांस्टेबल/चालक ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-10-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 102-प्रेस/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री कन्हैया लाल,
लांस नायक,
43 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बलजीत सिंह,
लांस नायक,
43 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3-8-1995 को एक विश्वसनीय सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र विद्रोही, गांव आदिपुरा में एक बैठक करने वाले हैं । कमांडेंट श्री एस. एस. संधू के नेतृत्व में उस क्षेत्र में छापा मारने की योजना बनाई गई । जब वे गांव में संदिग्ध घरों की घेराबंदी कर रहे थे तो निकटवर्ती पूजा स्थल में मौजूद विद्रोहियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया । सैनिकों ने भी

जवाबी गोलीबारी की और लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं । उप-कमांडेंट की कमान में एक आक्रमण दल जिसमें सर्व श्री कन्हैया लाल और बलजीत सिंह भी शामिल थे, कवरिंग फायर की आड़ में पूजा स्थल के निकट पहुंचा । विचलित हुए बिना उग्रवादियों ने एक हथगोला फेंका और आक्रमण दल पर गोलियां भी चलाईं । लांस नायक कन्हैया लाल की बुलेट प्रूफ जैकेट में तीन गोलियां लगी और एक गोली, बलजीत सिंह की जैकेट की दाहिनी ओर रगड़ती हुई निकल गई । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना और अविचलित दोनों ही कांस्टेबल, पूजा स्थल की दीवार के पास पहुंच गए और एक खिड़की में उन्होंने पूजा स्थल के अन्दर हथगोले फेंके । जब हथगोले फटे तो विद्रोही, उन छेदों में होकर बच निकलने के प्रयास में खिड़कियां से बाहर कूदने लगे, जिन्हें घेराबंदी दल ने कवर नहीं किया था । श्री कन्हैया लाल और श्री बलजीत सिंह ने एक विद्रोही का पीछा किया । अपना पीछा किए जाने की भनक मिलते ही उसने एक पेड़ की आड़ ले ली और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोली चलाई । तथापि, दोनों ही जमीन पर लेट गए और इनमें से एक ने विद्रोही पर गोली चलाई और दूसरा कार्मिक किसी प्रकार से घूमकर दूसरी तरफ पहुंच गया और विद्रोही से गुत्थम-गुत्था हो गया और उस पर काबू पा लिया । पकड़े गए उग्रवादी की शिनाख्त, खुर्शीद अहमद गनाई पुत्र अब्दुल गनी गनाई, कोड "शाहबाज" के रूप में हुई जोकि एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन का स्वयंभू प्लाटून कमांडर था । उसके पास से दो सक्रिय कारतूसों सहित एक चीनी पिस्तौल और एक आर पी ओ 762 एल एम जी तथा 65 चक्र सहित एक ड्रम मैगजीन और एक हथगोला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री कन्हैया लाल, लांस नायक और बलजीत सिंह, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 3-8-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 103-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर. एस. सिंह,
कांस्टेबल,
50वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री पी. के. तिवारी,
कांस्टेबल,
50वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री आर. पी. यादव,
कांस्टेबल,
50वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 3-5-1993 को करीब 1115 बजे श्री आर. एस. सिंह, चौकी कमांडर, शाहपुर सीमा चौकी, को पता चला कि कुछ विद्रोहियों ने यूको बैंक को लूट लिया है और वे बंगलादेश सीमा की ओर भाग गए हैं । श्री सिंह ने सीमा चौकियों को सीमा सील कर देने का आदेश दिया । श्री यादव और श्री तिवारी, कान्स्टेबलों, ने फायरिंग करने के लिए उपयुक्त स्थान चुना और विद्रोहियों को बंगलादेश सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया । श्री सिंह ने सीमा चौकियों की सहायता के लिए कुछ अन्य रैंकों को भेजा और तत्काल, बैंक की ओर गए । जब पुलिस दल मनकाछार बस स्टाप के करीब पहुंचा तो उन्होंने पाया कि विद्रोही भारतीय सीमा पर स्थित एक गांव की ओर दौड़ रहे थे । जब उन्होंने उनका तेजी से पीछा किया तो दोनों ओर से गोली-बारी हुई । इस बीच पुलिस दल राह से भटक गया और इस तरह बदमाश उनकी आंखों से ओझल हो गए । तब श्री सिंह ने विद्रोहियों, जिनके निकट के हटमेंटों में छिपे होने का सन्देह था, का पता लगाने के उद्देश्य से हवा में दो/तीन राउण्ड गोलियां चलाईं । इसके परिणामस्वरूप, विद्रोहियों ने पुनः गोलियां चलाईं और सीमा की ओर भाग निकले । पुलिस दल ने गोलियां चलाईं और इस तरह करीब डेढ़ घंटे तक दोनों ओर से गोली-बारी होती रही तथा इस प्रक्रिया में दल के कमांडर आर. एस. सिंह द्वारा मनकाछार कालिज क्षेत्र में एक उपद्रवकारी को मार गिराया गया। शेष चार विद्रोही बंगलादेश में घुस जाने के उद्देश्य से शाहापाड़ा क्षेत्र की ओर दौड़े उस समय श्री तिवारी ने एक विद्रोही को मार गिराया । कान्स्टेबल यादव, जो कि निगरानी बुर्ज संख्या 1 पर थे, शेष तीनों विद्रोहियों की तरफ भागे तो उन पर भारी गोली-बारी की गई, और उन्होंने उनमें से एक को मार गिराया । इस दौरान, श्री सिंह, भाग रहे दो उग्रवादियों के सामने की ओर आ गए और बाद में इन दोनों विद्रोहियों को भी पुलिस दल ने मार डाला । इस अभियान में 5 विद्रोही मारे गए और एक पकड़ा गया तथा निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया :—

(1) ए.के. 47/56 राईफलें—2 (चार मैगजीनों सहित)

(2) ए.के. 47/56 के सक्रिय कारतूस— 40 राउण्ड

(3) ए.के. 47/56 के ई. एफ. सी. — 01

(4) 9 मि.मी. की कार्बाईन मशीन— एक मैगजीन सहित दो

(5) 9 मि.मी. के सक्रिय राउण्ड— 15

(6) फ्यूज सहित 36 मं. के हथगोले– 01

(7) भारतीय मुद्रा (लूटी हुई)– 7,05,500/- रुपये

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर. एस. सिंह, पी. के. तिवारी और आर. पी. यादव, कान्स्टेबलों, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-5-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 104-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी. एल. तिवारी,
कमांडेंट,
1 बटा., सीमा सुरक्षा बल ।

श्री सी. बी. एकलूरे,
सूबेदार,
1 बटा., सीमा सुरक्षा बल ।

श्री विमोद कुमार,
कांस्टेबल,
1 बटा., सीमा सुरक्षा बल ।

श्री कुलजीत सिंह,
कांस्टेबल,
1 बटा., सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-6-95 को यह सूचना मिलने पर कि कुछ उग्रवादियों ने श्रीनगर के करफाली मोहल्ले में शरण ले ली है, श्री पी. एल. तिवारी, कमांडेंट ने एक सहायक कमांडेंट, 4 एस.ओ. एवं 39 अन्य रैंकों को मिलाकर एक स्पेशल ग्रुप बनाया । ब्रीफिंग के पश्चात् लगभग 0500 बजे यह टुकड़ी करफाली मुहल्ले की ओर बढ़ी । इस टुकड़ी को दो ग्रुपों में बांटा गया । एक ग्रुप का नेतृत्व श्री तिवारी ने और दूसरे का नेतृत्व श्री प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट ने किया । जब श्री तिवारी का ग्रुप काजी मस्जिद के निकट पहुंच रहा था तो उस पर उग्रवादियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई । तब दूसरी टुकड़ी को सावधान कर दिया गया लेकिन जब यह उस इमारत के पास पहुंची तो इस पर भी भारी गोलाबारी की गई । सहायक कमांडेंट श्री प्रताप सिंह ने उपलब्ध सैनिकों की मदद से उस इलाके को दो तरफ से घेर लिया और साथ ही साथ गोलियां चलाते हुए उग्रवादियों को उलझाए रखा । गोलीबारी के दौरान तीन उग्रवादियों ने बचकर भाग निकलने की कोशिश की । प्रताप सिंह की पार्टी द्वारा घायल हुआ एक उग्रवादी अपनी ए.के.-56 राइफल छोड़कर भाग गया । दूसरा उग्रवादी, छिपने के ठिकाने के पास गया और उसने दोनों ही पार्टियों पर गोलियां चलाईं तथा तीसरा उग्रवादी किसी प्रकार बच निकला । तत्पश्चात् सूबेदार सी. बी. एकलूरे और 4 अन्य जवानों के साथ श्री तिवारी उस इमारत के निकट पहुंच गए । चूंकि उग्रवादी दोनों पार्टियों पर लगातार गोलियां चला रहा था इसलिए कुमुक बुलाई गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई । श्री तिवारी अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक खिड़की तक पहुंच ही गए और उन्होंने एक गोला इमारत के अन्दर फेंका । इसी बीच निरीक्षक चन्द्र भानु, मुख्य द्वार से और कांस्टेबल कुलजीत सिंह एवं विमोद कुमार, साथ लगे कमरे में उस पर से कूदे और उन्होंने गोलियां चलाते हुए छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया । जब गोलियां चलनी बंद हुईं तो एक शव बरामद हुआ जिसकी पहचान, हिज्बुल मुजाहिदीन से सम्बद्ध अल कुबार बटालियन की उमर बिन यासीर कंपनी की कंपनी कमांडर और पाक प्रशिक्षित उग्रवादी अल्ताफ अहमद मंगलूर फारुक टापा के रूप में की गई । निम्नलिखित हथियार और गोलीबारूद बरामद किए गए :—

1. ए.के.-56 राइफल-02
2. ए.के.-56 की मैगजीन-04
3. ई.ई.सी.-22
4. ए.के. श्रेणी की राइफल के जिन्दा कारतूस-62
5. वायरलैस सैट-01

इस मुठभेड़ में, श्री पी. एल. तिवारी, कमांडेंट, श्री सी. बी. एकलूरे, सूबेदार, श्री विमोद कुमार, कांस्टेबल और श्री कुलजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-6-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 105-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री कृष्ण नन्दन शर्मा
लांस नायक,
34 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अक्तूबर, 1994 को लगभग 12.55 बजे सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन के सेकेण्ड इन कमांड जम्मू यूनिट के सैनिकों के साथ तीन वाहनों में अनन्तनाग जिले में मट्टी सीरान से दक्सूम की ओर जा रहे थे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और 30—40 विद्रोहियों की ओर से उन पर भारी गोलीबारी की गई। बचकर निकल जाने की दृष्टि से, मारूति जिप्सी में बैठे सेकेण्ड कमांड ने अपने चालक से कहा तेजी से गाड़ी चलाकर वह काफिले के आगे निकल चले और इस प्रकार से मारक क्षेत्र से बाहर निकल चले। उनके काफिले के दो वाहन तो मारक क्षेत्र से सुरक्षित निकल आए परन्तु तीसरा एवं अंतिम वाहन उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसका मार्ग एक बड़े शिलाखण्ड से अवरुद्ध हो गया। इस वाहन में सवार लोगों में से दो को गोलियां लगीं और बाद में घायलावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। लांस नायक के. एन. शर्मा की जांघ और घुटनों में गोलियां लगी परन्तु गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद श्री शर्मा ने घायल कांस्टेबल की मध्यम मशीनगन ले ली और उग्रवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यह महसूस करके कि तीसरा वाहन उनके साथ नहीं आया है, सेकेण्ड इन कमांड अपने कार्मिकों के साथ घात लगाए गए स्थान पर वापस लौटे परन्तु जब वे लगभग एक किलोमीटर पीछे ही थे तभी उन पर भारी गोलीबारी की गई। इसी बीच श्री शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन के कमांडेंट को सूचित कर दिया और वे, कुमुक के साथ घात लगाई गई जगह पर पहुंच गए। जैसे ही कमांडेंट और उनका दल घातस्थल पर पहुंचा, उन पर भी भारी गोलीबारी की गई। कमांडेंट ने 81 मि.मी. मोर्टार से मोर्चा संभाला और उग्रवादियों की ओर दो बम फेंके जिसके परिणामस्वरूप विद्रोही पीछे हटने लगे।

इस मुठभेड़ में, श्री कृष्ण नंदन शर्मा, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 106-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जी. श्रीनिवासु,
कांस्टेबल,
84वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 दिसम्बर, 1994 को 84वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्वाधीन एक खोजी दल पर, अवान्ता भवन क्षेत्र में छिपे विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी की। जब समर्पण के लिए किए गए अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ तो जवानों ने जवाबी गोलीबारी की और उनमें से दो को मार गिराया। इस हमले के दौरान लांस/नायक यू. एस. पंचोली और कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह घायल हो गए और उन्हें तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया जहां लांस/नायक पंचोली की घावों के कारण मृत्यु हो गई। पूरी रात रुक-रुक कर हुई गोलीबारी के बाद विद्रोहियों ने 14 दिसम्बर को लगभग 13.00 बजे घर को आग लगा दी तथा वहां से बच कर भाग निकलने की कोशिश कर रहे दो विद्रोहियों को मार गिराया गया। अन्ततः, उप-कमांडेंट, बी. एस. रावत, कांस्टेबल अशोक कुमार और कांस्टेबल जी. श्रीनिवासु, घर में घुसने में सफल हो गए, जहां उन पर हथगोले फेंके गए जिससे कांस्टेबल अशोक कुमार, घायल हो गए। कांस्टेबल जी. श्रीनिवासु और उप-कमांडेंट रावत ने साहस के साथ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक के एक-एक आतंकवादी को मार गिराया। दल के कार्मिकों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अन्य विद्रोही कमरे से बाहर निकल आया और जवानों पर गोलियां चलाने लगा। ऐसे नाजुक मौके पर कांस्टेबल जी. श्रीनिवासु, जो इस उग्रवादी के काफी निकट थे, उग्रवादी पर झपटे और उसके शस्त्र को पकड़ लिया। उग्रवादी के साथ जूझते हुए तथा उसको अपने शस्त्र का उपयोग न करने देने से श्री रावत को आगे आने और इस उग्रवादी को मार गिराने का मौका मिल सका। कुल मिला कर, सात उग्रवादी मार गिराये गए तथा निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया :—

1. 2 ए.के.-56 राईफलें
2. एक 9 मि.मी. की कार्बाईन मशीनगन
3. तीन हथगोले
4. एक वायरलैस सैट तथा बड़ी मात्रा में सक्रिय गोला-बारूद

इस मुठभेड़ में, श्री जी. श्रीनिवासु, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-12-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 107-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बी. आर. चौधरी,
उप-कमांडेंट,
43वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री आर. पी. सिंह,
नायक,
43वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5-10-1995 को सूचना मिली कि नौपुरा, सोपोर, कश्मीर स्थित एक फार्म हाउस में कुछ खूंखार उग्रवादी छिपे हुए हैं । उपलब्ध दल को लेकर एक छापा मारने की योजना बनाई गई । क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए जवानों को चार दलों में विभाजित किया गया । श्री बी. आर. चौधरी, उप-कमांडेंट, को 43वीं. बटालियन के 9 अन्य रैंकों के साथ, बचकर भाग निकलने के महत्वपूर्ण मार्गों को कवर करने के लिए तैनात किया गया, श्री सन्धू, कमांडेंट के नेतृत्व वाले एक अन्य दल ने घर की ओर युक्तिपूर्ण ढंग से बढ़ना शुरू किया । जिस समय छापा मारने वाले जवान एक बाग में स्थित सुनसान मकान की ओर बढ़े तो अन्दर छिपे हुए उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से आगे बढ़ रहे सुरक्षा बल के जवानों पर गोलीबारी की । सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलाबारी होती रही । अंधेरे का लाभ उठाते हुए उग्रवादियों ने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया और वहां से बचकर भाग निकलने के प्रयास में विभिन्न दिशाओं में दौड़ना शुरू कर दिया । श्री चौधरी और आर. पी. सिंह ने आक्रमण करने वाली पार्टी को कवरिंग फायर प्रदान की, जोकि इमारत की ओर बढ़ चुके थे । आक्रमण करने वाली पार्टी ने भवन में हथगोले फेंके, और जब वे फटे तो उग्रवादी खिड़की से बाहर कूद पड़े और बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । एक विद्रोही का पीछा सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया, जबकि दूसरा बाग की ओर भागने लगा । जब श्री चौधरी और सिंह ने उसका पीछा किया, तो विद्रोही पेड़ों की आड़ लेता और अपने पीछे आने वालों पर गोलियां चलाते हुए, बाग में से भागने लगा । एक गोली श्री चौधरी की जैकेट पर लगी तथा एक अन्य गोली श्री सिंह की जैकेट से रगड़ती हुई गुजर गई । श्री चौधरी ने एक छोटा रास्ता देखा और श्री सिंह की मदद से उग्रवादी को वहीं उलझाए रखा और अत्यंत फुर्ती के साथ गोली चला रहे उग्रवादी को दबोच लिया । उसने अपने आपको मुश्ताक अहमद खजा, कोड "जहांगीर" पुत्र गुलाम रसूल खोजा, पी टी. एम. तथा एच. एम. गिरोह का स्वयं-भू सैक्शन कमांडर, बताया । उसके पास से निम्नलिखित शस्त्र/गोला-बारूद बरामद किए गए :—

ए. के. 56 राइफल—01 सं.

ए. के. 56 सारीज की मैगजीन—03 सं.

ए. के. श्रेणी के सक्रिय कारतूस—69 राउण्ड

फोटोफोन वायरलैस सैट—01 सं.

इस मुठभेड़ में, श्री बी. आर. चौधरी, उप-कमांडेंट तथा श्री आर. पी. सिंह, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5-10-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 108-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री संजय चौधरी, आई. पी. एस.
पुलिस अधीक्षक,
सरगुजा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28-4-95 को लगभग दोपहर 12.35 बजे लगभग एक दर्जन अपराधियों के एक सशस्त्र गिरोह ने अम्बिकापुर शहर के बैंक आफ बड़ौदा में डकैती डाली और 6.37 लाख रुपये लेकर चंपत हो गये । सूचना मिलने पर, श्री संजय चौधरी ने शहर के नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया, अधिकारियों को तीन दल बनाने का निर्देश दिया और उसके बाद वे अभियुक्तों की खोज में विभिन्न दिशाओं में चल पड़े । श्री संजय चौधरी ने एक दल का नेतृत्व किया जिसमें दो सिपाही थे और बचकर भागने के संभावित रास्ते की तरफ चल पड़े । अपराधियों को दो मोटर साईकिलों तथा एक मोपेड पर भागते देखकर संजय चौधरी ने उनका जबर्दस्त पीछा किया । संकट को भांपते हुए, अभियुक्तों ने श्री चौधरी और उनके दल पर अंधाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दी । अविचलित पुलिस दल ने गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया । अपने वाहनों को छोड़कर अपराधी घने जंगल की तरफ भागे, लेकिन उनमें से एक पर काबू पा लिया गया । श्री चौधरी अन्य अपराधियों का पीछा करते रहे और जिस समय जंगलों की

सघन तलाशी ली जा रही थी, तब अभियुक्तों ने नजदीक आते हुए पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में श्री चौधरी ने अपनी 09 एम.एम. की सर्विस पिस्तौल से गोलीबारी की और अभियुक्तों में से एक को पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया, बाद में उस पर काबू पा लिया गया। घायल होने के बावजूद श्री चौधरी ने तलाशी जारी रखी और पुलिस दल का नेतृत्व करते हुए अन्य तीन अभियुक्तों को पकड़ने में अंततः सफल हुए। कुल मिलाकर 10 अपराधी पकड़े गए जिन के पास से 6.32 लाख रुपए, .315 बोर की 5 देशी पिस्तौलें तथा .12 बोर की एक पिस्तौल, दो मोटरसाईकिलें तथा एक लूना बरामद की गई। अपराधियों की पहचान (1) अरविंद सिंह (2) देवेन्द्र सिंह (3) शिवजी सिंह (4) रूप सिंह (5) गौरी शंकर (6) सुरेन्द्र सिंह (7) संजय सिंह (8) बलिराम सिंह (9) मोहन सिंह तथा (10) श्रीमती देव मुनी के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में श्री संजय चौधरी, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-4-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 109-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री विजय यादव,
पुलिस अधीक्षक,
जिला भिण्ड।

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
एस.डी.पी.ओ.,
जिला भिण्ड।

श्री हुकम सिंह यादव,
एस.डी.पी.ओ., अटेर,
जिला भिण्ड।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 14-6-94 को श्री विजय यादव, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड, को सूचना प्राप्त हुई कि बैटा सिंह डकैत का एक गिरोह, क्वारी नदी के दर्रे में ठहरा हुआ है। श्री यादव ने, अपने अन्य साथियों के साथ घेराबंदी करने और तलाशी लेने के अभियान की योजना बनाई। उपलब्ध बल को 4 ग्रुपों में विभाजित किया गया—पहला दल जिसका नेतृत्व श्री हुकम सिंह यादव कर रहे थे, को गांव छुनकारी से कोट कनावार तक की तलाशी लेनी थी, को अन्तर-राज्य सीमा के निकट एक कट-आफ पार्टी के रूप तथा दूसरे दल को जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी रूप कर रहे थे, को अन्तर-राज्य सीमा के निकट एक कट-आफ पार्टी के रूप में तैनात किया गया। श्री विजय यादव, पुलिस अधीक्षक, के नेतृत्वाधीन वाले तीसरे दल को, नावोरी गांव से कच्छपुरा पहुंचना था, तथा एस.डी.पी.ओ., भिण्ड, श्री राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्वाधीन वाले दल को गांव कोट-कनावार से कच्छपुरा तक तलाशी लेनी थी।

करीब 13.00 बजे श्री हुकम सिंह और उनकी पार्टी ने डकैतों को एक पेड़ के नीचे आराम करते देख, उन्हें समर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु डकैतों ने उन पर गोली चलायी और उत्तर दिशा में बच कर भागने की कोशिश की। श्री हुकम सिंह और उनके दल ने डकैतों का पीछा किया तथा उसके बाद हुई मुठभेड़ में दो डकैतों को मार गिराया, जिनकी शिनाख्त बिजेन्द्र सिंह और बल्लू कुर्मी के रूप में की गयी। शेष डकैत जिन्होंने बच कर उत्तर प्रदेश में भाग जाने की कोशिश की, को दूसरे दल ने बीच में ही रोका तथा दोनों ओर से हुई गोली-बारी के दौरान दो डकैतों को मार गिराया गया जिनकी पहचान सरमन मुसलमान तथा प्राण सिंह यादव के रूप में की गई। पुलिस दल संख्या तीन और चार, जिनका नेतृत्व श्री विजय यादव और श्री राजेन्द्र प्रसाद कर रहे थे, कच्छपुरा गांव पहुंचे, पुनर्गठित हुए और शेष गिरोह को बीच में ही पकड़ने के उद्देश्य से एक विस्तारित ढांचे में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े। श्री यादव ने डकैतों को समर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु डकैतों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस दल ने जवाबी गोली-बारी की परन्तु डकैतों ने एक नाले में मोर्चा लिया और भारी गोली-बारी की। जहां पर जो भी आड़ (कवर) उपलब्ध थी उसका सहारा लेकर पुलिस दल ने जवाब में गोली-बारी की और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े। लगभग दो घंटे तक भीषण गोली-बारी हुई तथा चूंकि और आगे बढ़ना असंभव था, इसलिए श्री यादव, डकैतों का ध्यान बांटने के उद्देश्य से डाकुओं पर चिल्लाए, उन्होंने श्री राजेन्द्र प्रसाद को दाएं छोर की ओर बढ़ने का निर्देश दिया जबकि श्री यादव ने आक्रमण करने वाले दल के साथ स्वयं बाईं ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की। श्री हुकम सिंह और थाना प्रभारी रूप ने, दलों के साथ पिछली ओर से बच कर भाग निकलने के रास्तों को बंद कर दिया। श्री विजय यादव बाईं ओर से आगे बढ़े तथा डाकुओं को घेर लिया गया और नजदीक से गोली बारी कर उन्हें उलझा लिया। दोनों ओर से हुई गोली-बारी के दौरान चार अन्य डकैतों को मार गिराया गया, जिनकी शिनाख्त बैटा सिंह, गिरोह का सरगना, कल्लू धीमर, इकबाल मुसलमान और कल्लू यादव, के रूप में की गयी। बैटा सिंह, जिस पर 5,500/- रु. ईनाम था, से एक 30 एम. आई. अमरीकी सेना की स्वचालित राईफल बरामद की गई, जबकि प्रत्येक अन्यों पर 1,000/-रु. का ईनाम घोषित था। बड़ी मात्रा में गोला-

बारुद सहित एक 30-60 विनचेस्टर, एल .315 की भारतीय आयुध राईफल, इंगलिश मार्क, 12 बोर की दो डी. बी. बी. एल. बन्दूकें, बरामद की गयी ।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री विजय यादव, पुलिस अधीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद, एस. डी. पी. ओ., श्री हुकम सिंह यादव, एस. डी. पी. ओ., ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14-6-94 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 110-प्रेज/96—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हरि सिंह, (मरणोपरान्त)
एस. जी. कांस्टेबल,
3 बटालियन,
जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

श्री महेश कुमार, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
3 बटालियन,
जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30 अगस्त, 1990 को लगभग 1300 बजे, घातक हथियारों से लैस कुछ उग्रवादियों ने जिला न्यायालय भवन के परिसर से श्री ए. के. मान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनन्तनाग पर उस समय हमला किया जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे । गोलियों की पहली बौछार की आवाज पर, रक्षक पार्टी से एस. जी. कांस्टेबल हरि सिंह और महेश कुमार ने अपने आपको इस से पोजीशन किया । जिससे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संरक्षण मिल सके । लेकिन वे गोली लगने से जख्मी हो गए और बाद में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । कान्स्टेबल पुरुषोत्तम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार के नजदीक धकेल दिया और उग्रवादियों की गोलियों का जवाब देने लगे । कांस्टेबल तिलक राज ने अपनी राईफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आड़ में रखा, जिससे कान्स्टेबल पुरुषोत्तम सिंह को जख्मी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल से हटाने में मदद मिली । कान्स्टेबल पुरुषोत्तम सिंह ने जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की दूसरी पलाटून को भी सावधान कर दिया, जिसने छत पर और अन्य अनुकूल स्थानों पर तुरन्त मोर्चा संभाल लिया । रक्षक दल और पलाटून द्वारा गोलीबारी करने पर उग्रवादी भागने लगे लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक हथगोला फेंका । दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी में कान्स्टेबल मो. अकरम गंभीर रूप से जख्मी हो गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री हरि सिंह एस. जी. कांस्टेबल, श्री महेश कुमार कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-8-90 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 111-प्रेज/96—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

मो. अकरम,
एस. जी. कान्स्टेबल,
3 बटालियन, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

श्री पुरुषोत्तम सिंह,
एस. जी. कांस्टेबल,
3 बटालियन जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

श्री तिलक राज,
एस. जी. कांस्टेबल,
3 बटालियन, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30 अगस्त, 1990 को लगभग 1300 बजे, घातक हथियारों से लैस कुछ उग्रवादियों ने जिला न्यायालय भवन के परिसर से श्री ए. के. मान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनन्तनाग पर उस समय हमला किया जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे । गोलियों की पहली बौछार की आवाज पर, रक्षक पार्टी से एस. जी. कान्स्टेबल हरि सिंह और महेश कुमार ने अपने आपको इस से पोजीशन किया । जिससे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संरक्षण मिल सके । लेकिन वे गोली लगने से जख्मी हो गए और बाद में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । कांस्टेबल पुरुषोत्तम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार के नजदीक धकेल दिया और उग्रवादियों की गोलियों का जवाब देने लगे । कान्स्टेबल तिलक राज ने भी अपनी राईफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आड़ में रखा, जिससे कान्स्टेबल पुरुषोत्तम सिंह को जख्मी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल से हटाने में मदद मिली । कान्स्टेबल पुरुषोत्तम सिंह ने जम्मू कश्मीर सशस्त्र

पुलिस की दूसरी प्लाटून को भी सावधान कर दिया, जिसने छत पर और अन्य अनुकूल स्थानों पर तुरन्त मोर्चा संभाल लिया। रक्षक दल और प्लाटून द्वारा गोलीबारी करने पर उग्रवादी भागने लगे लेकिन भागने में पहले उन्होंने एक हथगोला फेंका। दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी में कान्स्टेबल मो. अकरम गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

इस मुठभेड़ में, मो. अकरम, एस. जी. कान्स्टेबल, श्री परषोत्तम सिंह, एस. जी. कान्स्टेबल, श्री तिलकराज, एस. जी. कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-8-1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 112-प्रेज/96—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुरेश दागडू पोले,
पुलिस निरीक्षक,
पुणे शहर।

श्री बालासाहेब बी. भोर,
कान्स्टेबल,
पुणे शहर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

इस आशय की सूचना मिली थी कि किरण पुरुषोत्तम बालावलकर नामक एक खूंखार अपराधी और उसके साथी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक फ्लैट में शरण लिए हुए हैं। 25-1-95 को, करीब 23.30 बजे एक पुलिस दल जिसमें सर्वश्री सुरेश पोले, निरीक्षक, राहुलकुमार पोले, ए.पी. आई., दत्तात्रेय टेम्भारे, उप-निरीक्षक तथा प्रकाश सतपुते, उप-निरीक्षक शामिल थे, फ्लैट के सामने के दरवाजे की ओर गये तथा दूसरे दल को, जिसमें कान्स्टेबल, बी. बी. भोर, भी थे, को फ्लैट की ओर जाने वाली सीढ़ियों के निकट तैनात कर दिया गया, जबकि तीसरे दल को इमारत को चारों ओर से कवर कर लेने के लिए कहा गया। सर्वश्री पोले, पोले, टेम्भारे और सतपुते मुख्य द्वार से फ्लैट में गए तथा उसके अन्दर रह रहे लोगों को समर्पण करने के लिए ललकारा। तथापि, कोई जवाब नहीं आया परन्तु पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई गईं। कान्स्टेबल भोर ने एक सब्बल से जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो उन पर तुरन्त गोलियों की बौछार की गई। जब श्री पोले ने उपरन्त फ्लैट के अन्दर प्रवेश करने की कोशिश की, तो अपराधी बालावलकर ने उनकी ओर एक हथियार ताना तो श्री पोले ने आत्मसुरक्षा में अपने सर्विस रिवाल्वर से एक गोली चलाई। श्री पोले ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और गिरोह के लोगों को समर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु अन्दर से गोली-बारी जारी रही। श्री पोले ने सर्वश्री पोले और टेम्भारे को जवाबी गोली-बारी करने का आदेश दिया। श्री पोले द्वारा उत्साह बढ़ाने पर, सर्वश्री पोले, टेम्भारे ने अपनी-अपनी सर्विस पिस्तौलों से गोलियां चलाईं और प्रत्येक ने दो-दो गोलियां चलाईं। फलस्वरूप, बालावलकर गिर गया। इसके बावजूद बगल वाले कमरे से गोली-बारी की आवाज सुनाई दी और श्री पोले अन्दर गए, स्नानागार के समीप आड़ ली तथा अपनी कार्बाइन से गोली चलाई। इस बीच श्री सतपुते भी फ्लैट के अन्दर घुसे और अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाईं। कुछ समय बाद फ्लैट के अन्दर से गोलियां चलनी रुक गईं। फ्लैट में प्रवेश करने के बाद गिरोह के एक अपराधी जिसकी शिनाख्त बाद में रवीन्द्र करंजेकर के रूप में की गई, को घायल अवस्था में बालकनी के दरवाजे के निकट घायल अवस्था में गिरा हुआ तथा उसके हाथ के पास एक पिस्तौल तथा एक अन्य रिवाल्वर तथा एक दूसरी कार्बाइन उससे बरामद की गई, को घायल अवस्था में बालकनी के दरवाजे के निकट पहचान किरन बालावलकर के रूप में हुई, को कमरे में घायल पड़ा पाया गया जिसके हाथ के निकट एक .32 रिवाल्वर पड़ा पाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेश दागडू पोले, पुलिस निरीक्षक, पुणे शहर और श्री बालासाहेब बी. भोर, कान्स्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत, वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25-1-1995 से दिया जा रहा है।

गिरीश प्रधान, राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 113-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मोहिन्दर सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4-11-1992 को श्री मोहिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को बालागान गांव में कट्टर आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे

में सूचना मिली । राम तीरथ मेला के अवसर पर संवेदनशील गारक्षण करने के लिए वे एक बैठक कर रहे थे । तुरन्त ही सदल बल श्री मोहिन्दर सिंह छिपने के ठिकाने की तरफ चल दिए। उसके बाद, उस घर को जिसमें आतंकवादी बैठक कर रहे थे, पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया । आतंकवादियों ने पुलिस की उपस्थिति भांप ली और पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी । श्री मोहिन्दर सिंह ने तुरन्त ही पुलिस दल को आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का हुक्म दिया और अपने दल के कार्मिकों के साथ वे छिपने के ठिकाने की तरफ बढ़े । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका परन्तु इससे पुलिस दल में किसी को चोट नहीं आई । तब आतंकवादियों ने पुलिस दल पर एक बोतल बम फेंका जिसके विस्फोट से श्री मोहिन्दर सिंह और पुलिस दल के अन्य सदस्य बम के टुकड़े लगने से घायल हो गए । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, श्री मोहिन्दर सिंह तथा अन्य, आतंकवादियों की तरफ बढ़े । श्री सिंह ने आतंकवादियों पर गोलीबारी की और उनमें से एक को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में परगट सिंह उर्फ बुलेट तूफान बाबा के रूप में हुई । वह धारम सिंह जफरवाल गिरोह का "ए" श्रेणी का उग्रवादी था और अनेक जघन्य अपराधों में संलिप्त था । तलाशी के दौरान 5 कारतूसों सहित एक ए. के.-47 राइफल, एक हथगोला समेत एक थैला, एक बोतल बम, एक मिनी राइफल, एक डिटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई । तथापि, अन्य दो आतंकवादी धान के खेत की आड़ में भागने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री मोहिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-11-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

114-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रवि भूषण,
पुलिस निरीक्षक,
प्रभारी, सी. आई. ए.
भीखीविण्ड ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

1-3-1993 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन तारन को सूचना मिली कि एक कुख्यात आतंकवादी जसविन्दर सिंह, गांव-वालेर, पुलिस स्टेशन भीखी विण्ड में मौजूद है । उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक भीखीविण्ड को उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए तत्काल आदेश दिए । पुलिस उप अधीक्षक ने निरीक्षक, रवि भूषण, प्रभारी, सी. आई. ए., भीखीविण्ड, थाना प्रभारी भीखीविण्ड और उस थाने के कार्मिकों को एकत्र किया और बगीचा सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर आतंकवादी छिपा हुआ था । पुलिस को देखने पर, इस आतंकवादी ने पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाई । दल को विभिन्न पार्टियों में विभाजित किया गया था, एक पार्टी, निरीक्षक रवि भूषण की कमान में और दूसरी थाना प्रभारी, थाना भीखीविण्ड के नेतृत्व में और उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया । निरीक्षक रवि भूषण अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ, आतंकवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच फार्म हाउस की तरफ बढ़े । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, निरीक्षक रवि भूषण ने चारदीवारी को फांद कर फार्म हाउस में प्रवेश किया और रसोईघर के पीछे मोर्चा संभाल लिया तथा अपने सहकर्मियों को खिड़कियों से आतंकवादी पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया । इस अवसर पर आतंकवादी ने बच कर भागने की कोशिश की । लेकिन निरीक्षक रवि भूषण ने आतंकवादी की गतिविधि देख ली और उस पर गोली चलाई और उसे उसी कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया । इसी बीच, थाना प्रभारी, थाना भीखीविण्ड ने भी अपने दल के साथ फार्म हाउस में प्रवेश कर दिया। स्थिति का जायजा लेने के बाद, निरीक्षक रवि भूषण उस कमरे में दाखिल हो गए जिसमें आतंकवादी छिपा हुआ था और दरवाजे के पीछे मोर्चा संभाल लिया तथा पार्टी सदस्यों को दूसरे कमरे की खिड़कियों से गोलियां चलाने का निर्देश देकर स्वयं अंदरूनी दरवाजे से गोलियां चलाने लगे । बरामदे में मोर्चा संभाले हुए अन्य पुलिस कार्मिकों ने भी खिड़कियों से गोलियां चलाईं और इस प्रकार से आतंकवादी अपना मोर्चा नहीं बदल सका। उसके बाद, निरीक्षक रवि भूषण, साथ के कमरे में गए और आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । तलाशी के दौरान मृत आतंकवादी से सक्रिय/खाली कारतूसों सहित 0455 बोर रिवाल्वर बरामद हुई । मृतक आतंकवादी की शिनाख्त के. एल. एफ. के ले. जनरल जसविन्दर सिंह के रूप में की गई, जो एक हजार से अधिक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के लिए जिम्मेवार था ।

इस मुठभेड़ में श्री रवि भूषण, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-3-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 115-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री देवेन्द्र सिंह यादव, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला-मुजफ्फर नगर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-9-1992 को लगभग 9.50 बजे सुबह एक निश्चित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उप-निरीक्षक देवेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस दल एक अभियुक्त महेन्द्र सिंह को पकड़ने के लिए गांव मारी रसूलपुर के लिए रवाना हुआ । पुलिस दल ने अपने वाहन, चालक और मुखबिर को पीछे ही छोड़ दिया और अभियुक्त के घर तक पैदल ही जाकर धावा बोलने का निश्चय किया । पुलिस को देखकर महेन्द्र और उसके साथी, भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागे । उप-निरीक्षक यादव और कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह ने अभियुक्त महेन्द्र का पीछा किया जबकि अन्य पुलिस कर्मियों ने उसके साथी का पीछा किया । पीछा करते हुए उप-निरीक्षक यादव ने अभियुक्त को पकड़ लिया और उसे मजबूत गिरफ्त में ले लिया जबकि कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह ने उसे राइफल के बट से मारा । संघर्ष के समय अभियुक्त ने अपनी पिस्तौल निकाली और उप-निरीक्षक यादव पर गोली चलाई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, उसने उनकी सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली । इस घटना के दौरान कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह को भी चोटें लगीं । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उप-निरीक्षक यादव ने अभियुक्त महेन्द्र को जकड़े रखा और उसे बचकर भागने नहीं दिया । कोई विकल्प न पाकर अभियुक्त ने श्री यादव का गला भींच दिया, बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । इसी बीच उप-निरीक्षक धाम सिंह और अन्य कार्मिक, अभियुक्त के साथी का कोई पता न मिल पाने के कारण उप-निरीक्षक यादव की ओर भागे आए और उचित बल प्रयोग के पश्चात् अभियुक्त को हिरासत में ले लिया तथा उसके पास से एक देशी पिस्तौल तथा अधिकारी का सर्विस रिवाल्वर बरामद कर लिया । जब घायल कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह और अभियुक्त महेन्द्र को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्त महेन्द्र भी घायलावस्था में चल बसा ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री देवेन्द्र सिंह यादव, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा इसके फलस्वरूप, नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 26-9-1992 से दिया जाएगा ।

निर्मल प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 116-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राजीव दुबे, (मरणोपरान्त)
कान्स्टेबल,
नैनीताल ।

श्री राम भरोसे लाल,
कान्स्टेबल,
नैनीताल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

31 मई, 1989, को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि किच्छा - रुद्रपुर रोड पर स्थित एक फार्म हाउस में आतंकवादी मौजूद हैं, उप-निरीक्षक आर. एल. शर्मा, कान्स्टेबल राजीव दुबे, के साथ उनको पकड़ने के लिए चल पड़े । संदिग्ध फार्म हाउस के मुख्य द्वार तक पहुंचने पर पुलिस दल ने वहां छिपे आतंकवादियों को समर्पण करने के लिए ललकारा, परन्तु उन्होंने समर्पण करने के बजाय पुलिस पर अंधाधुंध गोली-बारी करनी शुरू कर दी । यह देखकर कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, आतंकवादियों ने बच कर भाग निकलने के प्रयास में पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी । कान्स्टेबल राजीव दुबे और राम भरोसे लाल, आतंकवादियों को ललकारते हुए आगे बढ़े, जवाबी गोलियां चलाईं तथा फार्म हाउस से बच कर भाग निकलने के उनके प्रयास को विफल कर दिया । दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी में दोनों कान्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए परन्तु वे बेहोश होने तक आतंकवादियों का मुकाबला करते रहे तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर कान्स्टेबल दुबे ने अन्तिम सांस ली । इस बीच, श्री एस. पी. सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक महक सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस दल भी उनकी सहायतार्थ वहां पहुंच गया । तीन आतंकवादियों ने पुनः बच कर सुरक्षित स्थान को भाग निकलने की पुनः कोशिश की परन्तु उनको एक सरकारी स्कूल की इमारत में घेर लिया गया जहां पुलिस की गोली बारी ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया । खुद को एक कठिन परिस्थिति में देखकर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें वहां से भागना पड़ा । कच्ची समारिया पहुंचने पर आतंकवादियों ने एक कच्चे नाले में मोर्चा लिया जहां पर उनको सर्व श्री एस. पी. सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, महक सिंह, निरीक्षक, तथा राम चरन सिंह, थाना प्रभारी और उनके दलों ने घेर लिया । पुलिस और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई । जब आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गईं, तब श्री सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, ध्यान पूर्वक आगे गए तथा पाया कि दो आतंकवादी बुरी तरह घायल थे । उन्होंने इन आतंकवादियों के शस्त्र ले लिए । बच कर भाग निकलने में सफल, तीसरे आतंकवादी का पीछा किया गया । श्री महक सिंह और उनके दल ने उसको दबोच लिया । अस्पताल ले जाते हुए दोनों आतंकवादियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया । मृत और गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान, सरबजीत

सिंह, धर्म सिंह और कश्मीर सिंह के रूप में की गई जिनके सिर पर इनाम घोषित थे ।

पुलिस ने बड़ी मात्रा में सक्रिय गोला बारूद सहित ए. के.-47 राइफल, एक 12 बोर की पिस्तौल बरामद की ।

इस मुठभेड़ में श्री (स्वर्गीय) राजीव दुबे, कान्स्टेबल, तथा श्री राम भरोसे लाल, कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31-5-1989 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 117-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

डा. कश्मीर सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला मेरठ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

13-12-1994 को डा. कश्मीर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई कि 2-11-1994 को अपहृत किये गए 4 वर्षीय लड़के, आशीष कांसल को छोड़ने के लिए एक व्यक्ति ने टेलीफोन से फिरौती की मांग की है । डा. सिंह, उपलब्ध बल के साथ तत्काल इलेक्ट्रा वर्ल्ड काम्पलेक्स, परतापुर, मेरठ गए और लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न को हरवीर सिंह नामक एक व्यक्ति को पकड़ा और उससे एक देशी पिस्तौल बरामद की । हरवीर ने अपहरण में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली और बताया कि आशीष, मन्सूफ गढ़ गांव के बबलू नामक एक व्यक्ति के पास है। डा. सिंह बल सहित तुरन्त उस गांव में पहुंचे और बबलू के मकान को घेर लिया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ललकारने पर एक व्यक्ति दरवाजा तोड़कर पुलिस की तरफ बाहर दौड़ा और गोलियां चलाने लगा । हरवीर ने उस व्यक्ति की शिनाख्त बबलू के रूप में की । तत्पश्चात् पुलिस पार्टी दक्षिण की तरफ बढ़ी और अपराधी पर झपट पड़ी और उसे पकड़ लिया । पूछताछ करने पर बबलू ने बताया कि आशीष को श्रीमती विनोद, रामपाल, नीरज नारायण, संजय और सतीश ले गए हैं और वे लोग जिला मेरठ में कंकड़ खेड़ा पुलिस स्टेशन की तुलसी कालोनी की तरफ गए हैं । जब पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची तो उस पर रामपाल और नीरज ने गोलियां चलायी । इससे विचलित हुए बिना डा. सिंह और पुलिस पार्टी अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालकर अपराधियों पर झपट पड़ी और लगभग 12.30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद की । रामपाल ने बताया कि आशीष को श्रीमती विनोद ले गयी है और वे, गांव चौबला के बुद्धू नामक एक व्यक्ति के घर पर ठहरे हुए हैं । डा. सिंह, चौबला गांव पहुंचे और बुद्धू के मकान को घेर लिया । इसी बीच, रामपाल और नीरज ने मकान की छत पर खड़े व्यक्तियों की शिनाख्त श्रीमती विनोद, अपहृत बच्चे, सतीश, संजय और नारायण के रूप में कर ली । अपराधियों को बच्चे के साथ देख कर डा. सिंह ने उन्हें, बच्चे को सौंपने के लिए कहा लेकिन अपराधियों ने पुलिस पार्टी को धमकी दी और गोलियां चलाईं । इस समय, पुलिस पार्टी द्वारा गोली चलाने से बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए डा. सिंह मकान की छत पर चढ़ गए और उपलब्ध बल की मदद से लगभग 2.45 बजे अपराह्न सभी चारों अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो गए और बच्चे को अपराधियों के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया । अपराधियों की शिनाख्त सतीश, जिसके पास एक 12 बोर की पिस्तौल, संजय और नारायण, जिनके पास सक्रिय कारतूसों के साथ एक एक 315 बोर की पिस्तौल थी और श्रीमती विनोद के रूप में की गयी । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । कुल मिलाकर 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए ।

इस मुठभेड़ में डा. कश्मीर सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-12-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 118-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार, सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हर्ष वर्धन सिंह (पहला बार)
पुलिस निरीक्षक,
जिला गाजियाबाद ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 फरवरी, 1995 को रात लगभग 10.45 बजे थाना प्रभारी हर्ष वर्धन सिंह तथा 4 अन्य अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि चार संदिग्ध अपराधी एक मारुति कार में सूर्य नगर इलाके में घूम रहे हैं । आवश्यक बल और हथियार एकत्र करके सभी पांचों अधिकारी, अपराधियों को पकड़ने के

लिए रवाना हो गए । 7 कार्मिकों को साथ लेकर श्री हर्ष वर्धन सिंह स्वयं ही पुलिस जिप्सी चलाते हुए गए जब कि कोतवाली थाना प्रभारी श्री एल. एस. पी. सिंह, तीन कार्मिकों के साथ एक निजी कार से सूर्य नगर क्षेत्र की ओर और बाद में गाजियाबाद की ओर चल पड़े । एक बैंक के पास पहुंचकर पुलिस दल ने देखा कि संदिग्ध सफेद मारुति कार, हंसापुर गांव की ओर से आ रही है । कार को रुकने का इशारा करने पर अपराधियों ने अपनी कार बड़ी तेजी से प्रहलाद गढ़ी की ओर मोड़ दी । श्री हर्ष वर्धन सिंह और अन्य ने अपराधियों का पीछा करना जारी रखा जबकि उन्होंने कोतवाली के थाना प्रभारी से कहा कि वे कनावनी की ओर से अपराधियों को घेरें । आधी रात के आस-पास श्री हर्ष वर्धन सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने अपराधियों को घेर लिया; अपराधी, गोलियां चलाते हुए कनावनी की ओर भागने में सफल हो गए । अंततः, भागते हुए अपराधियों को एक तरफ से श्री हर्ष वर्धन सिंह और दूसरी ओर से कोतवाली के थाना प्रभारी ने घेर लिया । अपने को पुलिस की मजबूत गिरफ्त में पाकर अपराधियों ने वहां से भागने की कोशिश की परन्तु उनकी कार, खाली खेत में स्थित एक गड्ढे में फंस गई । चारों अपराधी कार से बाहर निकल आए और पुलिस पर गोलियां चलाने लगे जिसका तत्परता से जवाब दिया गया । दोनों ओर गोलियां चलने के दौरान एक गोली जिप्सी की विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई निकल गई और श्री हर्ष वर्धन सिंह और विजय कुमार यादव बाल-बाल बच गए । आतंकित करने के लिए अपराधियों ने कोतवाली के थाना प्रभारी और उनके दल पर गोलियों की बौछार की जिससे वे भी बाल-बाल बचे । इसके बाद वे अपने-अपने वाहनों से नीचे उतर आए और प्रभावी जवाबी गोली-बारी करने के लिए उन्होंने पोजीशन ले ली । अपराधियों की ओर से अंधाधुन्ध गोली-बारी के बावजूद सभी पांचों अधिकारी रेंगकर आगे बढ़ते हुए अपने हथियारों से गोलियां चलाते रहे । दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान दो अपराधी मारे गए और दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकलने में सफल हो गए । मृत अपराधियों के पास से एक स्टेनगन, एक रिवाल्वर और एक मारुति कार बरामद हुई ।

बाद में दोनों अपराधियों की शिनाख्त सुरेन्द्र सिंह और नीटू के रूप में हुई, ये दोनों ही इनामी बदमाश थे ।

इस मुठभेड़ में, श्री हर्ष वर्धन सिंह, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5-2-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 119-प्रेज/96—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मो. अनवारुल हसन
पुलिस उप-निरीक्षक,
जमालपुर ।

श्री राम प्रबोध सिंह,
सिपाही,
जमालपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 मई, 1991 को मध्यरात्रि के आस-पास पुलिस उस समय तत्काल हरकत में आयी जब उसे मधुपुरी में पंजाब मेल की ए. सी. टू-टायर बोगी में सशस्त्र डकैती के बारे में पता चला। रेलगाड़ी को तत्काल रोका गया और पुलिस ने मोर्चा संभाला । एक सशस्त्र डकैत ने नीचे उतरते हुए एक महिला को आड़ के रूप में उससे आगे चलने को मजबूर किया और शेष डकैत उसके पीछे-पीछे चल पड़े और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की । इस आड़ का फायदा उठाते हुए सबसे आगे चल रहे डकैत ने सिपाही राम प्रबोध सिंह पर गोली चलाई, जिससे उसका गाल जख्मी हो गया । जिस महिला को आड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था वह प्लेटफार्म पर नीचे गिर गयी, श्री राम प्रबोध सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए डकैत पर गोली चलायी जिसने बाद में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । एक अन्य डकैत, जिसने स्वयं को ए. सी. बोगी के गुसलखाने में बंद कर लिया था, को बाहर निकालने के लिए उप-निरीक्षक, हसन ने गुसलखाने की खिड़की के शीशे को बाहर से तोड़ दिया । डकैत ने अंदर से उन पर गोली चलायी, जिससे उप-निरीक्षक हसन को, गोली का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके कारण डकैत की मृत्यु हो गयी । अन्य डकैत बचकर भागने में सफल हो गया । मृत डकैतों की शिनाख्त प्रमोद और महेश के रूप में की गयी । पुलिस ने घटनास्थल से, लूटी हुई सम्पत्ति जैसे आभूषण, घड़ियां, ब्रीफ-केस और नकदी भी बरामद की ।

इस मुठभेड़ में श्री मो. अनवारुल हसन, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री राम प्रबोध सिंह, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए गए हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 120-प्रेज/96—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री उदयवीर सिंह राठी,
पुलिस निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली

श्री कृष्ण गोपाल त्यागी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली

श्री शिव राज सिंह,
हैड-कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5/6-1-93 की रात को, जब श्री उदयवीर सिंह, निरीक्षक थाना प्रभारी, सीमापुरी लगभग 11.30 बजे रात्रि गश्त ड्यूटी पर थे तो उन्हें सूचित किया गया कि डाकुओं का एक हत्यारा दल वैन में ग्रीन फील्ड स्कूल, दिलशाद गार्डन के "टी" प्वाइंट पर पहुंचने वाला है । श्री राठी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और अपनी टीम को उस स्थान पर तैनात कर दिया । श्री राठी ने श्री शिव राज सिंह और अन्य हैड-कांस्टेबल के साथ सड़क के एक ओर मोर्चा सम्भाल लिया जबकि श्री कृष्ण गोपाल त्यागी, उप-निरीक्षक और अन्य सहायक उप-निरीक्षक दूसरी ओर तैनात हो गए । जिप्सी को, इस वैन का पीछा करने के निर्देश देकर उसे किनारे के पास तैनात कर दिया गया । लगभग 00.5 बजे, सामने से आ रहे वाहन के हैड-लाईट देखने पर श्री राठी ने जिप्सी को वैन का रास्ता रोकने का संकेत किया । जैसे ही जिप्सी ने वैन का रास्ता रोका, इसमें बैठे व्यक्तियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सड़क के दोनों तरफ मोर्चा सम्भाले हुए पुलिस पार्टी ने वैन पर गोलियां चलायी । इस वैन से एक व्यक्ति नीचे उतरा और उप-निरीक्षक त्यागी पर पिस्तौल से गोली चलायी जो उनके बाएं हाथ पर लगी, लेकिन विचलित हुए बिना श्री त्यागी अपने स्थान पर डटे रहे और जवाबी गोली-बारी की । कार की सीट पर बैठे दूसरे अपराधी, जिसकी शिनाख्त बाद में राज कुमार उर्फ पप्पी के रूप में की गयी, ने अपनी स्टेनगन से श्री राठी पर गोली चलायी जो श्री शिव राज सिंह की जांघ पर लगी । श्री राठी ने बड़े साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला किया और उन पर गोली चलायी तथा साथ ही साथ अपने साथियों को ऐसा ही करने के लिए कहा । इसके परिणामस्वरूप श्री पप्पी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य अपराधी, यह देखकर कि उनके साथी की गोली लगने से मृत्यु हो गयी है, बचकर भागने में सफल हो गए । मृतक से 9 एम. एम. की एक ब्रिटिश निर्मित स्टेनगन और धूसर रंग की मारुति वैन बरामद हुई । राजकुमार एक खतरनाक अपराधी था जिसने दिल्ली पुलिस के निरीक्षक प्रतापसिंह राणा की हत्या की थी और जिसकी कई मामलों में तलाश थी ।

इस मुठभेड़ में श्री उदयवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, श्री कृष्ण गोपाल त्यागी, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री शिव राज सिंह, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6-1-93 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 दिसम्बर 1996

सं. 6/1/1/एफसीएसएण्डपीडी/96—श्री मनोहर कांत ध्यानी, सदस्य, राज्य सभा को 13 दिसम्बर, 1996 से विभागों से संबद्ध खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1996-97) का सदस्य मनोनीत किया गया है ।

कृष्ण लाल
उप-सचिव

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 जनवरी 1997

सं. ए-42011/4/96-प्रशा.-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री आर. के. अरोड़ा, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

डी. पी. सैनी
अवर सचिव

सं. ए-42011/4/96-प्रशा.-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री धनराज, संयुक्त

निदेशक (लेखा) को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

डी. .पी. सैनी
अवर सचिव

सं. ए-42011/4/96-प्रशा.-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री आर. सी. मीणा, उप निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

डी. .पी. सैनी
अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

(सी.जी.एफ. इकेक)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1996

संकल्प

सं. ग्रेनाइट/3(51)/94-सी.जी.एफ.—भारत सरकार ने अपने 20 दिसंबर, 1994 के संकल्प संख्या ग्रेनाइट/3(51)/94-सी.जी.एफ. द्वारा गठित ग्रेनाइट उद्योग के विकास पैनल का कार्यकाल 20 दिसम्बर, 1996 से तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम. साहू
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th January 1997

No. 93-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the DG, Assam Rifles:—

Name and Rank of Officer

Shri B. M. Pradhan,
Subedar Major,
26 Assam Rifles,
Dimapur (Nagaland)

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-6-1995, at about 2300 hrs. information was received about the presence of SS SGt Khondao Lotha, a dreaded militant, who was a member of the "Death Squad" of NSCN (I-M) outfit. Though no officers on troops were available for operations, Subedar Major B. M. Pradhan quickly mustered a section strength comprising of washermen, sweepers, barbers and other tradesmen and left. He met an officer enroute and requested him to provide few OR for the operation and party was divided into two. One was led by the officer and the other by Shri Pradhan. They reached the outskirts of the town and located two isolated houses, where the hardcore militant was reported to be hiding. One house was cordoned off by six OR. Shri Pradhan alongwith four OR entered the house for search. When the search party reach the first floor, one person jumped out of the window and started running towards the jungle. At that time Shri Pradhan slithered down through a pipe and got injured in the process, but started chasing the person, despite his injury on his knee, asking the cordon party to follow him. After chasing about 700 metres, two OR overpowered the person. On interogation he revealed his identity as S S Sgt Khondao Lotha, a member of the "Death Squad" of NSCM (I-M). This death squad was responsible for the assassination of the VIPs in the town.

In this encounter Shri B. M. Pradhan, Subedar Major, of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-6-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 94-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles :—

Name and Rank of Officer

Shri B. S. Salaria,
Rifleman,
10 A. R.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24th June, 1995 at Barawila MT 7732 a joint cordon and search operation was launched to nab some anti-national elements. About 1220 hrs in the first contact, the police party came under fire and in the exchange of the fire one ANE as seriously injured. Rifleman Salaria alongwith his company rushed to the spot to reinforce the columns engaged in encounter with ANEs. Without caring for his personal security, he alongwith his Coy., Comndr. closed in with the militants hide out and kept them engaged with accurate firing which helped the Coy. Commander to manoeuvre other parties to lay a sieze on the militants hide out. This gallant and courageous action resulted in the killing of four militants and recovery of three AK-47 rifles, magazines, amn and other war like stores. The killed extremists were identified as Abdul Khaliq Ganie, Mustaq Abdul Lone, Md. Amin Para & Gulam Nabi Pare Maulvi.

In this encounter Shri B. S. Salaria, Rifleman, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24-6-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 95-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officers

Shri Sri Kishan,
Inspector,
119, Bn., CRPF.

Shri R. Thangapandi,
Constable,
119, Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-9-94 one Section of CRPF personnel including Constable R. Thangapandi under Inspector Sri Kishan were on patrol duty from 0600 hours in Thangal Bazar Imphal. At about 0715 hours one militant suddenly appeared from behind and fired at Constable R. Thangapandi from very close range, which resulted in serious injuries. Despite the injuries, Constable Thangapandi retaliated and fired two rounds which ceased the firing of the militant on the CRPF and also made the CRPF personnel alert. In the meantime, the militant hiding behind a truck fired at Sri Kishan with a revolver from close range. Shri Kishan also returned the fire. Having missed mark, the militant pounced upon the Inspector. Shri Sri Kishan without caring for his life, kicked the militant and simultaneously opened fire as result of which the militant fell down on the road and succumbed to the injuries. One .38 revolver with three live rounds was recovered from the dead militant who was identified as Chinganga Biren @ Satrajit, a hard-core PLA.

In this encounter S/Shri Sri Kishan, Inspector and R. Thangapandi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-9-1994.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 96-Pres, 96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri A. Palanivelu,
Sub-Inspector/Exe.,
CISF Unit, NPPCL,
Tuli, Nagaland

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-6-1995 Shri A. Palanivelu, S.I.(Exe) alongwith four others was on duty in Cash Section Guard of Nagaland Paper and Pulp Co. Ltd., Tuli. At about 1015 hours a group of unidentified persons with arms took the keys of cash room of NPPCL from Financial In-charge and took him hostage. A Constable who was coming on night duty was also taken hostage. At about 2340 hours the group armed with AK-47 rifles attacked CISF guards on duty at the cash room with indiscriminate firing. In that surprise attack, S.I. Palanivelu was hit by a bullet which pierced through his stomach. Undeterred by the injury, S.I. Palanivelu opened fire from his revolver and ordered his subordinates also to open fire and guided the counter attack till he fell down. In the counter attack which lasted for about 10 minutes, two NSCN militants were seriously wounded, while the others fled the scene carrying with them their injured accomplices but left behind their vehicles. One jeep and one motor-cycle was recovered from the spot. S.I. Palanivelu whose courageous resistance helped in saving Rs. 20 lacs from being looted was immediately rushed to Air Force Hospital, Jorhat.

In this encounter Shri A. Palanivelu, S.I./Exe. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19-6-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 97-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name and Rank of Officer

Shri L. Deben Singh
Sub-Inspector of Police,
Rapid Action Police Force,
District Imphal

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-7-1995, information was received that some underground activists of PLA with sophisticated weapons were roamingin the areas of Wangkhei, Thangmeiband Imphal, Damon Leikai etc. Immediately two police parties were formed to launch a manhunt—one part was led by R. Tomba Singh, Officer-in-Charge, P.S. Imphal and the second led by Sub-Inspector L. Deben Singh of Rapid Action Police Force. At about 12.20 hours, three youths were seen coming on a motor-cycle. On seeing the police they made a sharp turn towards a lane. Sensing their suspicious movement both the police parties started chasing them. One of the pillion riders opened fire on the police parties. The police personnel also returned the fire. As a result of police firing the driver of Motor Cycle got multiple bullet injuries on his leg and all the three fell on the ground. The injured activist was over-powered by K. Tonla Singh. However, the remaining two criminals ran towards the nearby houses in different directions. One of them was chased by SI Deben Singh and party. This party conducted house to house search. During search they noticed one youth trying to escape on a cycle. But SI Deben Singh chased and caught him. The third youth was also arrested by the other police party. All the arrested criminals were identified as (1) Laishram Bijoy Singh alias Paona; (2) Mairangthem Suraj Singh alias Somarjit; and (3) M. Thomcha alias Rajen. These three persons were active members of Fighting Group of PLA were involved in large number of heinous crimes. During search three 9mm Pistols alongwith large number of live cartridges were recovered from the criminals.

In this encounter Shri L. Deban Singh, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7-7-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 98-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Orissa Police :—

Name and rank of Officer

Shri Panchanan Patra (*Posthumous*)
Constable,
Rourkela.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11th December, 1994 at about 10 AM, after hearing hue & cry of the residents of Deogaon Basti, Constable Patra on a scooter saw 2 persons running away from the village and boarding an auto-rickshaw. He immediately chased the auto-rickshaw carrying Md. Maksud Alam & Md. Rais Alam, two hardended criminals, who had terrorised them with fire arms. After a hot chase, Constable Patra intercepted the auto-rickshaw near Taskera crossing. He immediately overpowered and disarmed one of the accused namely Md. Rias Alam. In doing so, the co-accused Md. Maksud Alam, in an attempt to escape, fired on the Constable from his pistol as a result of which Constable Patra became unconscious and succumbed to his injuries in the hospital.

Subsequently the villagers caught hold of both the above accused persons alongwith 2 pistols and one empty case of ammunition.

In this encounter (Late) P. Patra, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-12-1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 99-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police :—

Name and rank of Officer

Shri Udoy Kumar Roy,
Sub Inspector of Police,
Darrang District.

Shri N. N. Roy,
A.S.I. of Police,
Darrang District.

Shri U. A. Ali,
Constable,
12th Assam Police Bn.,
Sonitpur District.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-10-993 at about 12.00 Noon, Incharge Sipajhar P. S., District Darrang received information about the presence of two hard-core ULFA activists in the house of another ULFA activist of village Niz.-Sipajhar. He immediately deputed a raiding party consisting of one ASI, one Havildar and three Constables under the command of Sub-Inspector U. K. Roy (including ASI N. N. Roy and Constable U. A. Ali) to apprehend them. The police party approached the house tactfully. On seeing the police party, the ULFA activists started firing at the police personnel and fled towards the nearby paddy fields. The fleeing ULFA activists were chased by the police party inspite of firing from them. The police party also fired on the activists as a result of which one extremist was killed on the spot while another was injured.

The killed extremist was identified as Jyoti Saikia alias Shankar Baruah and the injured as Kiran Nath alias Anirban Chetia (Office Secretary, Darrang District, ULFA, who had earlier escaped from Guwahati Medical College Hospital on 4-4-1993). During search, the police party recovered the following arms and ammunition alongwith cash :—

1. One Stengun with two Magazines loaded with 40 rounds of 9mm ammunition.
2. One .9mm Pistol with one magazine.
3. Two Grenades.
4. Cash Rs. 3071/-.

In this encounter S/Shri Udoy Kumar Roy, N. N. Roy and U. A. Ali displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24-10-1993.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 100-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and rank of Officer

Shri Kuldeep Singh,
Sub-Inspector of Police,
73 Bn. BSF.

Shri Suresh Kumar,
Constable,
73 Bn., BSF.

Shri P. T. Krishna Kumar,
Constable,
73 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-8-1994, on the basis of reliable information, a special cordon and search operation in was planned to flush out some hard-core militants hiding in a Mosque in Village Petseer. The terrorists hiding in that area lobbed hand grenades followed by heavy firing on the search party which resulted in serious bullet injuries to 3 BSF personnel. Sensing the gravity of the situation, the party was re-organised and the inner cordon around the mosque was tightened. The search party asked the militants to surrender, but instead, they fired a few shots through the windows at the search party. Thereafter, intense firing continued with the Militants and some more BSF personnel sustained bullet injuries. In the mean time, DIG BSF arrived on the spot and took stock of the situation. As the militants were still adament on their part, it was decided to lob hand grenades inside the mosque. The militants continued their firing. In the exchange of firing one more BSF person succumbed to his injuries and another BSF person received bullet injuries. Since the militants were firing continuously, it was decided to storm the hide-out. A party under the command of SI Kuldeep Singh with S/Shri Suresh Kumar & Krishna Kumar stormed the main hall of the mosque. A fierce encounter took place which lasted for about 15 mts.

In this encounter S/Shri Kuldeep Singh, Sub-Inspector, Suresh Kumar & P. T. Krishna Kumar, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7-8-1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 101-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of Officer

Shri Shyam Sinh,
Head Constable/Dvr.,
89 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19/10/1995, at about 0700 hours the Unit School bus of the Central School, Lalmphalpat, Imphal left unit campus

carrying 19 school going children and 9 other ranks. At about 0740 hrs, while the bus was passing through village Wangbal, located at a distance of about 35 kms from Imphal town, it suddenly came under indiscriminate firing by suspected underground militants resulting in injury to Shri Singh on his thighs and abdomen. Blood started bleeding profusely and the bus was fired upon continuously. Though the bus was fired upon continuously by another group of militants, Dvr. Shyam Singh continuously drove the bus to save the lives of school children and other occupants. The militants continued firing on the bus and punctured the right side front tyre. But Shri Singh accelerated the speed of the vehicle and brought the bus upto SP's Office, Thoubal, about 4 kms from the place of ambush. However, the militants had followed the bus for a distance while continuing firing with automatic weapons in a bid to stop it and kill all the occupants. But they could not succeed in their plan as Shri Singh did not stop the bus. In this incident 2 daughters of Shri Singh and one CRPF L/NK were killed. Nine persons including Shri Shyam Singh were injured.

In this encounter Shri Shyam Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19-10-1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 102-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and rank of Officers

Shri Kanihya Lal,
Lance Naik,
43 Bn., BSF.

Shri Daljit Singh,
Lance Naik,
43 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-8-1995, reliable information was received that some armed insurgents were to hold a meeting in Village Adipura. A raid was planned for the area under Shri S. S. Sandhu, Comdt., When they were cordoning the suspected houses in the Village, the insurgent who were in nearly place of worship opened fire. The troops also returned the fire and the exchange of fire continued for about 20 minutes. An assault party including S/Shri Kanihya Lal & Daljit Singh under the command of Dy. Comdt. approached the place of worship under covering fire. The militants, undeterred, lobbed a grenade and also fired on the assault party. Three bullets hit the BP Jacket worn by L/NK Kanihya Lal & one bullet grazed the right side of the Jacket of Daljit Singh. Undeterred and unmindful of their personal safety both the constables reached the wall of the place of worship & threw, hand grenades through a window into the place of worship. When the grenades exploded, the insurgents, jumped out of the windows in a bid to escape through the fields which had not been covered by the cordoning party. Shri Kanihya Lal & Daljit Singh pursued one insurgent who, sensing that he was being chased, took cover behind a tree & fired on the BSF personnel. However, both of them, dived for cover on the ground and one of them fired on the insurgent, & other managed to circle around and overpowered the insurgent after scuffle. The apprehended militant was identified as Khursid Ahmad Ganai S/o Abdul Gani Ganai code "SHAHBAJ" a PTM and self styled platoon Commander of HM A Chinese Pistol with two live rounds, and an RPO 7.62 LMG and Drum Mag with 65 rounds and one hand grenade were recovered from his possession.

In this encounter S/Shri Kanihya Lal & Daljit Singh, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-8-1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 103-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and rank of Officers

Shri R S Singh,
Constable,
50 Bn., BSF.

Shri P K Tiwari,
Constable,
50 Bn., BSF.

Shri R P Yadav,
Constable,
50 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awerded :—

On 3-5-1993 at 1115 hrs. Shri R. S. Singh, post Comdr. of BOP Shahpar, learnt that some insurgents had looyrt UCO Bank and fled towards Bangla Desh border. Shri Singh ordered the Ops to seal the border. Shri Yadav & Tiwari Constables selected suitable firing position & denied the insurgents to cross into Bangladesh. Shri Singh despatched few OR to reinforce the Ops & rushed towards the Bank. When the Police party reached near the bus stop Mankachar, they found that the insurgents were running toward an Indian Border village. When they gave hot chase, there was an exchange of fire between them. In the meantime the police party lost track & visual contact with the miscreants. Shri Singh then ordered two/three rounds in air for relocating the ultras who were suspected to be hiding in the nearby hutments. As a result of this, the ultras again fired & fled towards the border. The police party opened fire and the exchange of fire continued for about 1 1/2 hrs. and in this process one miscreant was killed in the area of Mankachar college by party Comdr. Shri R.S. Singh. Remaining four ultras further ran towards the area of Sahapara to sneak into Bangladesh. when Shri Tiwari killed one ultra Constable Yadav who was at OP Tower No. 1 dashed towards the 3 remaining ultras, came under firing and shot dead one of them. In the meantime, Shri Singh came towards the front of fleeing two ultras and later on these 2 ultras were also killed by the Police party. In this operation 5 militants were killed and one was apprehended & following arms & ammunition were recovered :—

(i) AK-47/56 Rifles—2 Nos. with 4 Magazines.

(ii) Live Amn AK-47/56—40 rounds.

(iii) EFC of AK 47/56—01 No.

(iv) 9mm Pistol—01 with 01 Mag.

(v) 9mm Carbine Machine—02 with 01 Mag.

(vi) Live rounds 9mm—15 Nos.

(vii) No. 36 Hand Grenade with fuze—01 No.

(viii) Indian Currency (looted money)—Rs. 7,05,500/-.

In this encounter S/Shri R.S. Singh, P.K. Tiwari, & R.P. Yadav, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-5-1993.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy.

No. 104-Pres./96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and rank of Officers

Shri P. L. Tiwari,
Commandant,
1, Bn. BSF.

Shri C. B. Eklure,
Subedar,
1, Bn. BSF.

Shri Vinod Kumar,
Constable,
1, Bn. BSF.

Shri Kuljit Singh,
Constabile.
1, Bn. BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-6-95, on receipt of information that some militants had taken shelter in Karfali Mohalla in Srinagar, Shri P. L. Tiwari, Comndt., mustered a special group comprising of 1 Asstt. Comdt, 4 SOs and 39 ORs. At about 05 00 hrs after a briefing, the contingent moved towards Karafali Mohalla. The troop was divided into 2 groups. One group was led by Shri Tiwari and the other by Shri Pratap Singh, Asstt. Comdt. While Shri Tiwari's group was approaching Qazi Masjid it came under heavy fire from the militants. This party retaliated the fire. The second troop was then alerted and while it was approaching the building, it also came under heavy fires from the militants. Shri Pratap Singh, AC encircled the area with available troops from two sides and simultaneously engaged the militants by firing. During firing, three mlitants tried to escape. One militant got injured from Pratap Singh's party dropped his AK-56 weapon & fled. The second militant went near the hide-out & fired at both the parties and the third militant managed to escape. Thereafter, Shri Tiwari alongwith Subedar C. B. Eklure and 4 other Jawans reached near the building. Since the militant kept on firing at the parties, re-inforcement was called and the whole area was *cordoned*. Shri Tiwari without caring for his safety, succeeded in reaching a window and threw a grenade inside the building. In the meantime, Insnr. Chandra Bhanu from main gate side and Kuljit Singh & Vinod Kumar Constables from the adjacent room entered the house, and stormed the hide-out by firing. When the firing ceased, a dead body, identified to be Altaf Ahmed Mangloorn Farooq Tapa. Coy Comdr./HM/PTM of Umar Bin Yaseer Coy of Al-Kubab Bn was found.

In this encounter S/Shri P. L. Tiwari, Commandant, C. B. Eklure, Subedar, Vinod Kumar, Constable, and Kuljit Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-6-1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 105-Pres./96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :—

Name and rank of Officer

Shri Krishan Nandan Sharma,
Lance Naik,
34, Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20th October, 1994 at about 1255 hrs, the 2 I/C, of 34 Bn. BSF while travelling from Matti-gaoran to Daksum in Anantnag District, in three vehicles with unit's troops was ambushed by militants and came under heavy fire from 30—40 insurgents. In order to escape, the 2 I/c who was moving in a Maruti Gypsy, told his driver to move with speed to the front of the convoy and to get out of the killing zone. While two vehicles of his convoy were able to clear the killing zone, the third & last vehicle could not keep up as it was blocked by a big boulder. Two of the persons travelling in this vehicle were hit by bullets and later on succumbed to their injuries. L/Naik K. N. Sharma received bullet injuries on his thigh & knees but despite the severe injuries, Shri Sharma took over the MMG of the injured constable and started firing at the militants. On realising that the third vehicle had not kept up with him, the 2 I/c returned with his men to the ambush site but came under heavy fire when they were about a kilometer away. In the meanwhile, Shri Sharma informed the Commandant of the 34 Bn., BSF who alongwith reinforcement rushed to the scene of the ambush. As soon as the Comdt. and his party approached the site of the ambush, they also came under heavy fire. The comdt. deployed 81 MM Mor and fired two bombs towards the militants, as a result of which, the insurgents began to retreat.

In this encounter Shri K. N. Sharma, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20-10-1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 106-Pres./96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :—

Name and rank of Officer

Shri G. Srinivasu,
Constable,
84 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13th December 1994, a search party under the Commandant, 84 Bn., came under heavy firing, from insurgents hiding in a Awanta Bhawan area. When requests to surrender did not heed any reply, the troops returned fire and killed two of them. During this assault. L/NK U.S. Pancholi and Const. Dharmender Singh were injured and rushed to Base Hospital where L/NK Pancholi succumbed to his injuries. After sporadic firing throughout the night, the insurgents at about 1300 hrs. On 14th December 1994 set blaze the house and the two insurgents trying to escape were shot dead. Ultimately, Dy. Comdt. B. S. Rawat, Const., Ashok Kumar and Constable G. Srinivasu succeeded in entering the house where they were targetted with hand grenades which injured Constable Ashok Kumar, Const., G. Srinivasu & Dy. Comdt., Rawat reacted quickly and shot dead one terrorist each. To prevent the force personnel from further advancing, another insurgent came out at the room and started firing at the troops. At this critical jucture, Const., G. Srinivasu who was very close to this militant, jumped upon the insurgent and grapped his weapon. Grappling with the militant and not permitting him to use his weapon enabled Shri Rawat to come forward to kill this militant also. In all, 7 militants were killed, and the following arms & ammunition were recovered :—

1. 2 A K 56 Rifles,
2. one 9 mm Cabine machine gun.
3. Three hand grenades.
4. one wireless set and a large number of live ammunition.

In this encounter Shri G. Srinivasu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-12-1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 107-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officers

Shri B. R. Chaudhary,
Deputy Comndt.,
43 Bn., BSF.

Shri R. P. Singh,
Naik,
43 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5-10-1995, information was received regarding presence of some dreaded militants in a farm house located in Nowpura, Sopara, Kashmir. A raid was planned with the available troops. The troops were divided in four parties for cordoning the area. Shri B. R. Chaudhary, Dy Comdt. with 9 ORs of 43 Bn., was positioned to cover the vital escape routes, another party headed by Shri Sandhu Comdt. made a tactical approach towards the house. When the raiding troops was approached the isolated house located in an orchard, militants hiding inside, opened heavy fire with automatic weapons on the advancing party. BSF troops retaliated and the exchange of fire for continued about 20 minutes. Taking advantage of the darkness the militants left their place of hiding & started running on different directions in a bid to escape. Shri Chaudhary & R. P. Singh gave covering fire to the assault party who had moved towards the building. The assault party threw grenades into the building and when it exploded, the insurgents jumped out of the window and tried to escape. While One insurgent was chased by BSF troops, another ran towards an orchard. When, Shri Chaudhary and Shri Singh pursued him, the insurgent started running through the orchard taking cover behind tree & fired at his pursuers. The bullet hit the jacket of Shri Chaudhary and one bullet grazed the Jacket of Shri Singh. Shri Chaudhary located a short cut and with the help of Shri Singh made the militant to started and in a quick reaction over powered the firing militants. He revealed his identity as Mustaq Ahmed Khuja, Code 'Jahangir', S/o Gulam Rasool Khoja, a PTM and self styled 'Section Comdr' of HM outfit. The following arms/amn. were recovered from his possession :—

AK 56 Rifle	—01 No.
AK 56 Mag series	—03 Nos.
Live AK Series	—69 Rds.
Photophone wireless set	—01 No.

In this encounter S/Shri B. R. Chaudhary, Deputy Comndt. and R. P. Singh, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-10-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 108-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of Officer

Shri Sanjay Choudhary, IPS,
Supdt. of Police,
Surguja.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-4-95 at about 12.35 P.M. dacoity was committed by an armed gang of about dozen criminals in the Bank of Baroda of Ambikapur City and decamped with Rs. 6.37 lacs. On information Shri Sanjay Choudhary contacted city control room, instructed officers to form three parties and then proceeded in different directions in search of the culprits. Shri Choudhary himself took command of one party consisting of two constables and rushed in the direction of the possible escape route. Shri Choudhary noticing the culprits running away on two motorcycles and a moped, gave a hot chase. Sensing trouble, the culprits started indiscriminate firing on Shri Choudhary and his party. Undeterred the police party returned the fire. The culprits left their vehicle and ran towards the thick forest but one of the culprits was overpowered. Shri Choudhary kept on chasing the other accused and as a close search of the forest was being made, the culprits started firing at the approaching police party. Shri Choudhary fired in exchange with his 9 mm service pistol injuring one of the culprits on the leg, who was subsequently overpowered. Shri Choudhary despite being injured continued the search and led the police force and finally succeeded in apprehending three other accused. In all 10 culprits were apprehended from whose possession Rs. 6.32 lakhs, five .315 bore country made postols and one .12 bore pistol, two motorcycles and one Luna were recovered. The criminals were identified as (1) Arvind Singh, (2) Devendra Singh, (3) Shivji Singh, (4) Pappu Singh, (5) Gouri Shankar (6) Surendra Singh, (7) Sanjay Singh, (8) Baliram Singh, (9) Mohan Singh and (10) Sant Dev Muni.

In this encounter Shri Sanjay Choudhry, SP. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-4-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 109-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Vijay Yadav,
Superintendent of Police,
District Bhind.

Shri Rajendra Prasad,
S. D. P. O.,
District Bhind.

Shri Hukam Singh Yadav,
S. D. O. P., Ater,
District Bhind.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-6-94 Shri Vijay Yadav, SP, Bhind received information that a dacoit gang of Beta Singh had been camping in the ravines of Kunwari river. Shri Yadav with others planned combing and search operation. The available force was divided into 4 groups the first led by Shri Hukam Singh Yadav was detailed to search village Chhunchari to Kot-Kanawar, the second group led by SHO Phoop and positioned as cut-off party near inter-state border. The third group led by Shri Vijay Yadav, SP was to approach Kachhpura from village Nadori and tourth group led by SDOP Bhind Shri Rajendra Prasad was to search from village Kot-Kanawar to Kachhpura.

At about 1300 hrs. Shri Hukam Singh and his party seeing the dacoits resting under a tree, challenged them to surrender but the dacoits opened fire and tried to escape northwards. Shri Hukam Singh and his party chased the dacoits and in the encounter that followed two dacoits identified as Brijendra Singh and Babloo Kurmi were shot dead. The remaining dacoits who tried to escape into Uttar Pradesh were intercepted by second party and in the exchange of fire two dacoits identified as Sarman Musalman and Pran Singh Yadav were shot dead. Police parties Nos. three and four under Shri Vijay Yadav and Rajendra Prasad reached village Kachhpura, regrouped and in an extended formation moved north-west to intercept the rest of the gang. Shri Yadav called the dacoits to surrender but the dacoits opened fire. The police party returned the fire but the dacoits took position in a nullah and opened heavy firing. Taking whatever cover available, the police party returned the fire and advanced further under adverse circumstances. A fierce exchange of fire lasting about two

hours took place and as further advance was impossible, Shri Yadav shouted at the dacoits to divert their attention, while he directed Shri Rajendra Prasad to move from the right flank and Shri Yadav himself alongwith assault group tried to advance from the left. Shri Hukam Singh and SHO Phoop alongwith parties blocked the rear escape routes. Shri Vijay Yadav moved ahead from the left flank and the dacoits were encircled and engaged at close range. In the exchanged of fire four more dacoits identified as Beta Singh, gang leader, Kallu Dhiman, Iqbal Musalman and Kallu Yadav were shot dead. One 30 MI US Army automatic rifle was recovered from Beta Singh who carried a reward of Rs. 5500/- while the others carried a remawrd of Rs. 1000/- each. One 30-60 Winchester, one .315 Indian Ordnance Rifle, two 12 bore DBBL guns with English markings and three 12 bore SBBL guns alongwith large quantity of ammunition was recovered.

In this encounter S/Shri Vijay Yadav, SP, Rajendra Prasad, SDPO and Hukam Singh Yadav, SDOP, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-6-1994.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 110-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Jammu & Kashmir Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Hari Singh, (Posthumous)
S. G. Constable,
III Bn., JKAP.

Shri Mahesh Kumar, (Posthumous)
Constable,
III Bn., JKAP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30th August, 1990, about 1300 hrs., some militants armed with deadly weapons attacked Shri A. K. Bhan, SSP, Anantnag, from the premises of Distt. Court Building when he was to board his car. At the sound of first volley, SG Constables Hari Singh and Mahesh Kumar from escort party placed themselves in such a manner as to provide protection to SSP. But they received bullet injuries and later on succumbed to their injuries. Constables Parshotam Singh pushed SSP near the car and retalated against the militan's. Constable Tilak Raj also commanded firing with his rifle and thus shielded the SSP which helped Constable Purshotam Singh to lift the injured SSP into the car and remove him from the scene. Constable Purshotam Singh, also alerted another platoon of JKAP, who immediately took position upon the roof and at other vantage points. On this firing from the escort party and platoon, the militants retreated but lobbed one grenade before fleeing. In the exchange of fire. Constable Mohd. Akram was also severly wounded.

In this encounter (Late) S/Shri Hari Singh and Mahesh Kumar, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-8-1990.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 111-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Jammu & Kashmir Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Mohd. Akram,
S. G. Constable,
III Bn., JKAP.

Shri Parshotam Singh,
S. G. Constable,
III Bn., JKAP.

Shri Tilak Raj,
S. G. Constable,
III Bn., JKAP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30th August, 1990, about 1300 hrs., some militants armed with deadly weapons attacked Shri A. K. Bhan, SSP, Anantnag, from the premises of Distt. Court Building when he was to board his car. At the sound of first volley, SG Constables Hari Singh and Mahesh Kumar from escort party placed themselves in such a manner as to provide protection to SSP. But they received bullet injuries and later on succumbed to their injuries. Constables Parshotam Singh pushed SSP near the car and retaliated against the militants Constable Tilak Raj also commenced firing with his rifle and thus sheilded the SSP which helped Constable Purshotam Singh to lift the injured SSP into the car and remove him from the scene. Constable Purshotam Singh, also alerted another platoon of JKAP, who immediately took position upon the roof and at other vantage points. On this firing from the escort party and platoon, the militants retreated but loobed one grenade before fleeing. In the exchange of fire. Constable Mohd. Akram was also severly wounded.

In this encounter S/Shri Mohd. Akram, Parshotam Singh and Tilak Raj, S. G. Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-8-1990.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 112-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri Suresh Dagadu Pote,
Inspector of Police,
Pune City.

Shri Balasaheb B. Bhor,
Constable,
Pune City.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

An information was received that a dangerous criminal Kiran Purushotam Walawalkar and his associates armed with sophisticated weapons were taking shelter in a flat. On 25-1-95 at about 23.30 hours, a team comprising S/Shri Suresh Pote, Inspr., Rahulkumar Yeole, API, Dattatraya Temghare, SI and Prakash Satpute, SI approached the front door of the flat, while the second party including Shri B. B. Bhor, Constable were posted near the staircase leading to the flat and a third party was asked to cover the building from all directions. S/Shri Pote, Yeole, Temghare and Satpute went to the flat from the main entrance and challenged the inmates to surrender. However, there was no respons but bullets were fired at the police party. Constable Bhor broke opened the door with a crowbar and was immediately greeted with a volley of fire. When Shri Yeole tried to enter the flat forcibly, the criminal Walawalkar pointed a weapon

towards him and thus for self-defence, Yeole fired a bullet from his service pistol. Shri Pote took control of the situation, warned the gangsters to surrender but the firing from inside continued. Shri Pote ordered S/Shri Yeole and Temghare to return the fire. Being encouraged by Shri Pote, S/Shri Yeole, Temghare opened fire from their service pistols and fired 2 bullets each. As a result, Walawalkar fell down. Despite that, firing was heard from the adjacent room and Shri Pote moved inside, took shelter near the bathroom and fired from his carbine. In the meantime Shri Satpute also entered the flat, fired from his service revolver. After sometime the firing from inside the flat stopped. On entering the flat, one gangster later identified as Ravindra Karanjekar was found lying injured near the door of the balcony with a pistol near his hand and another revolver and country made carbine lying by his side, while the other gangster identified as Kiran Walawalkar was found lying injured in the living room and .32 revolver found near his hand.

In this encounter Shri Suresh Dadagu Pote, Inspector of Police and Shri Balasaheb B. Bhor, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25-1-1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 113-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Mohinder Singh,
Dy. Supdt. of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4-11-1992, Shri Mohinder Singh, Dy. Supdt. of Police received information about the movement of hard-core terrorists in a village Balagan. They were holding a meeting to commit sensitive crimes at the time of Ram Tirath Fair. Immediately, Shri Mohinder Singh alongwith force left for the place of hide-out. Thereafter, the house where the terrorists were holding the meeting was cordoned off by the Police. The terrorists noiced the presence of police, they started firing on the police personnel. Immediately Shri Mohinder Singh ordered he police party to retaliate in self defence and he alongwith his party personnel moved towards the hide-out. The terrorists then threw a hand-grenade on the police party which did not cause any injury to the party. Then the terrorists lobbed a bottle bomb on he police party and as a result of explosion, Shri Mohinder Singh and other members of police party sustained splinter injuries. But unmindful of their personal safety, Shri Singh and others advanced towards the terrorists. Shri Singh fired on the terrorists and killed one of them, who was later identified as Pargat Singh *alias* Bullet *alias* Toofan Baba. He was an 'A' category militant of Wasan Singh Zailarwal Group and was involved in many heinous crimes. During search one AK-47 Rifle with 5 cartridges, one bag containing one hand-grenade one Bottle Bomb, one Mini Rifle, one detonator and explosive material were recovered. However, the other two terrorists were managed to escape under the cover of rice field.

In this encounter Shri Mohinder Singh, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowancea dmissible under rule 5, with effect from 4-11-1992.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 114-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Ravi Bhushan,
Inspector of Police,
Incharge CIA,
Bhikhiwind.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-3-1993, SSP, Taran Taran received information about the presence of a dreaded extremist Jaswinder Singh in village Baler, P. S. Bhikhiwind. He immediately directed Dy. S.P., Bhikhiwind to apprehend the said terrorist, who collected Inspector Ravi Bhushan, Incharge CIA, Bhikhiwind, S.H.O. Bhikhiwind and officials of that P.S. and raided the farm-house of one Bagicha Singh, where the terrorist was hiding. On noticing the police, the terrorist opened fire on the police personnel. The force was divided into different parties, one under the command of Inspector Ravi Bhushan and other under S.H.O., P.S. Bhikhiwind and they cordoned the farm-house. Inspector Ravi Bhushan alongwith his party members advanced towards the farm-house amidst firing by the fterrorist. Without caring for his personal safety, Inspector Ravi Bhushan entered the farm-house by scaling the boundry wall and took position behind the kitchen and directed his gunmen to open fire towards the terrorist through windows. At this juncture the terrorist tried to escape. But Inspector Ravi Bhushan noticed the movement of the terrorist and fired at him and forced him to be in the same room. In the meantime SHO, P.S. Bhikhiwind alongwith his party also entered in the farm-house. After assessing the situation, Inspector Ravi Bhushan entered the room, where the terrorist was hiding and took position behind a door and directed party members to open fire through windows in he second room and he himself fired through an internal door. The other police personnel, who were taking position in the court-yard also fired through the windows, and thus the terrorist could not change his position. Thereafter Inspector Ravi Bhushan entered the adjoining room and fired on the terrorist and killed him on the spot. During search one .455 bore revolver alongwith five empty cartridges were recovered from the dead terrorist. The dead terrorist was identified as Jaswinder Singh, Lt. Genl. of KLF, who was responsible for killing of more than one thousand innocent persons.

In this encounter Shri Ravi Bhushan, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequenly carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-3-1993.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 115-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Devendra Singh Yadav (Posthumous)
Sub Inspector of Police,
Distt. Muzaffarnagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

After receiving definite information on 26-9-1992 around 9.50a.m., police party headed by S.I. Devendra Singh Yadav proceeded to village Sari Rasoolpur to nab a accused Mahendra Singh. The police party left behind vehicle, driver and the informer decided to raid the accused house on foot. On seeing the police, Mahendra and his accomplice ran out in different drections. S.I. Yadav and Constable Netra Pal Singh followed the accused Mahendra while the other police

personnel chased the accomplice. In the follow up, S.I. Yadav caught hold of the accused and took him in the tight grip, while Constable Netra Pal Singh hit him with the rifle butt. In the grappling, the accused whipped out his pistol and shot at S.I. Yadav causing severe injuries and snatched away his service. Constable Netra Pal Singh also sustained injuries during the incident. In spite of severe injuries, S.I. Yadav continued to hold the accused Mahendra on the tight-grip and did not allow him to escape finding no alternative, the accused squeezed the threat of Shri Yadav who later on succumbed to his injuries. In the meantime, S.I. Dham Singh & others finding no trace of the accused accomplice, rushed towards S.I. Yadav and after using proper force took the accused in to custody and recovered one country made pistol and one service revolver of the officer from his possession. While injured constable Netra Pal Singh and accused Mahendra were removed to the hospital and the accused Mahendra succumbed to injuries.

In this encounter (Late) Shri D. S. Yadav, Sub-Inspector, displayed conspicous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-9-1992.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 116-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Rajiv Dubey (*Posthumous*)
Constable,
Nainital.

Shri Ram Bharose Lal,
Constable,
Nainital.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 31st May, 1989, after receiving information about the presence of terrorists in a farm house on Kichha-Rudrapur road, S.I. R. L. Sharma alongwith Constables Rajiv Dubey, Ram Bharose Lal & others set out to apprehend them. Reaching the main gate of the suspected farm house, the Police party challenged the hiding terrorists to surrender but instead they started indiscriminate firing on the police. Finding themselves in the police dragnet, the terrorists in a bid to escape, opened fire on the police party. Constables Rajiv Dubey and Ram Bharose Lal, challenging the ultras advanced further, returned the fire and thwarted their escape from the farm house. In exchange of fire both Constables received grievious injuries but continued to counter the terrorists until they became unconscious and were removed to Hospital where Constable Dubey breathed his last. Meanwhile, they were joined by additional police force headed by Shri S. P. Singh, Dy. S.P. and Inspector Mahak Singh. Three terrorists again attempted to escape to a safer place but were cornered in a Government School building where police firing again compelled them to retreat, finding themselves in a tight position, opened fire on the Police party but had to flee. Reaching Kachhi Khamariya the terrorists took position in a Kachcha Nallah where they were encircled by S/Sri S. P. Singh, Dy. S.P., Malik Singh, Inspector and Ram Charan Singh, SHO and their parties. Heavy exchange of fire between the police and the terrorists took place. When firing from terrorists side stopped. Shri Singh, Dy.S.P. went forward carefully and found that the two terrorists were badly injured. He took away the weapons of these terrorists. The third terrorist who managed to escape was chased and overpowered by Shri Mahak Singh and his party. The two injured terrorists on their way to hospital succumbed to their injuries. The dead terrorists and the arested terrorist were identified as Sarbjit Singh, Dharam Singh & Kashmir Singh who were carrying reward on their heads.

In this encounter (Late) Shri Rajiv Dubey, Constable and Shri R. B. Lal, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

The award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 31-5-1989.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 117-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Dr. Kashmir Singh,
Sr. Superintendent of Police,
District Meerut

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-12-1994 Dr. Kashmir Singh, SSP, Meerut received information from ACP, Crime Branch, Delhi that a person had telephoned from ACP, Crime Branch, Delhi that a person had telephoned demanding ransom for release of Asheesh Kansal, a 4 year old boy kidnapped on 2-11-94. Dr. Singh rushed with available force to Electra World Complex, Partapur, Meerut and apprehended one Harveer Singh at about 10.00 A.M. and recovered one country made pistol from him. Harveer confessed his involvement in the kidnapping and revealed that Asheesh was with one Babloo of village Mansaf Garh. Dr. Singh along with force rushed to the village and surrounded the house of Babloo. On being challenged by the SSP, one person broke open the door and rushed out towards the police and opened fire. Harveer identified the person as Babloo. Thereupon the Police party moved towards the south, pounced on the culprit and apprehended him. On being interrogated, Babloo revealed that Asheesh had been taken away by Smt. Vinod, Rampal, Nauraj Narain, Sanjay and Sushil and they had proceeded to Tulsi colony of Partkar Khera P.S., District Meerut. When the police party reached the spot, they were fired upon by Rampal and Nauraj. Undeterred Dr. Singh and the police party at great risk to their lives pounced on the culprits and arrested them at about 12.30 hours and recovered a pistol from their possession. Rampal revealed that Asheesh had been taken away by Smt. Vinod and that they were staying in the house of one Buddhu of village Choubla. Dr. Singh reached village Choubla and surrounded the house of Buddhu. In the meantime Rampal and Nauraj identified the persons on the terrace of the house as Smt. Vinod, the kidnapped child, Sushil, Sanjay and Narain. On seeing the culprits with the child, Dr. Singh warned them to hand over the child but the culprits threatened the police party and opened fire. At his juncture as opening of fire by the police party would have caused danger to the life of the child, Dr. Singh climbed the roof of the house and with the help of the available force succeeded in apprehending all four culprits at about 2.45 P.M. and rescued the child safely from the clutches of the culprits. The culprits identified as Sushil with one 12 bore pistol, Sanjay and Narain with one 315 bore pistol each with live cartridges and Smt. Vinod were arrested. In all eleven criminals were arrested.

In this encounter Dr. Kashmir Singh, SSP, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-12-1994.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 118-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Harsh Vardhan Singh (1st Bar)
Inspector of Police,
Distt. Ghaziabad

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5th Feb., 1995 about 10.45 p.m., Harsh Vardhan Singh, SHO and 4 other officers, received information from the Control Room about the movement of four suspected criminals in a maruti Car in Surya Nagar area. After collecting necessary force and arms, all the five officers rushed to nab the criminals. Shri Harsh Vardhan Singh accompanied by 7 personnel himself drove the police gypsy, while Shri L. S. P. Singh, SHO, Kotwali alongwith three personnel moved in a private car rushed towards Surya Nagar area and thereafter to Sahibabad. After reaching near a bank, the Police party noticed the suspected white maruti Car coming from village Jhandapur. On being signalled to stop the Car, the criminals swiftly turned their Car towards Prahlad garhi. Shri Harsh Vardhan Singh & others continued to chase the culprits while he directed SHO Kotwali to surround the criminals from Kanawani side. Around midnight, the police party led by Shri Harsh Vardhan Singh cornered the criminals who after opening fire succeeded in running towards Kanavani side. Ultimately, the fleeing criminals were surrounded by Shri Harsh Vardhan Singh from one side and by SHO Kotwali from other side. Finding themselves in the tight grip of the police the criminals, attempted to flee, from the scene but their Car got stuck up in a ditch in a vacant field. The four out laws came out of the Car and started firing upon the police which was promptly replied to. During exchange of fire, a bullet pierced through the windscreen of gypsy and S/Shri Harsh Vardhan Singh and Vijay Kumar Yadav had a miraculous escape. To create panic, the criminals fired another bust towards SHO Kotwali and his party which they had also a narrow escape. Thereafter, they got down from their vehicles and took positions for effective return of fire. Despite indiscriminate firing from the criminals side, all the five officers crawled forward and kept firing on the criminals with their arms. In the course of exchange of fire, two criminals were killed and two others managed to escape taking were killed and two others managed to escape taking advantage of darkness. One sten gun, one revolver and a stolen Maruti Car were seized from the possession of dead criminals.

Both criminals were later on identified as Surendra Singh & Neetu carrying rewards on their heads.

In this encounter Shri H. V. Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequent carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-2-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 119-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Bihar Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Mohd. Anwarul Hassan
Sub Inspector of Police,
Jamalpur

Shri Ram Prabodh Singh,
Sepoy
Jamalpur

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1st May , 1991 Police swung into action around midnight when they came to know about an armed dacoity in A.C. Two Tier Bogie of Punjab Mail at Madhupuri. Immediately the train was made to stop and the Police took the position. One armed dacoit while stepping down made a lady to proceed ahead of him as a shield and remaining dacoits followed him and tried to aim at the Police. Taking advantage of the shield, the leading dacoit—fired at Sepoy Ram Prabodh Singh, injuring his cheek. The lady who was being used as the shield fell down on the platform, Shri Ram Probodh Singh took advantage of the situation and fired at the dacoit who later succumbed to his injuries. To flush out another dacoit, who locked himself in the bathroom of the AC Bogie, S.I. Hassan broke open the glass window of the bathroom from outside. The dacoit fired at him from inside compelling S.I. Hassan to fire back killing the dacoit. Other dacoits managed to escape. The killed dacoits were identified as Pramod & Mahesh. The Police also recovered looted material such as ornaments, watches, Brief case & cash from the scene.

In this encounter S/Shri M.A. Hassan, Sub-Inspector and R.P. Singh Sepoy, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-5-1991.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 120-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Udaivir Singh Rathi,
Inspector of Police,
Delhi Police,
Delhi.

Shri Krishan Gopal Tyagi,
Sub-Inspector of Police,
Delhi Police,
Delhi.

Shri Shiv Raj Singh,
Head Constable,
Delhi Police,
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 5/6-1-93, while Shri Udaivir Singh, Inspector, SHO, Seema Puri was on night patrolling duty at around 11.30 p.m., he was informed that a hired killer was expected in a van at the 'T' point of Green Field School, Dilshad Garden. Shri Rathi did a rescue of the area and positioned his team on the spot, Shri Rathi alongwith Shri Shiv Raj Singh and another Head Constable took up position on one side of the road while Shri Krishan Gopal Tyagi, S.I. and another ASI stationed themselves on the other side. The Gypsy was positioned around the corner with the instructions to intercept the van. At about 005 hours,

on seeing the head lights of an approaching vehicle, Shri Rathi signalled the Gypsy to block the van's route. As soon as the Gypsy blocked the route of the van, the occupants started firing at the police party with automatic weapons. The police party positioned on either side of the road, opened fire at the van. One of the occupants got down from the van and opened fire with a pistol on S.I. Tyagi, hitting him on his left hand, but undeterred, Shri Tyagi stuck to his position and returned the fired. The other criminal sitting in the front seat, who was later identified as Raj Kumar @ Pappi, fired at Shri Rathi with his stengun, which injured Shri Shiv Raj Singh on his thighs. Shri Rathi courageously faced the criminal and fired at he criminal and simultaneously directed his men to do so. This resulted in the killing of Mr. Pappi on the spot, while the other criminal, seeing his accomplice shot dead, managed to escape. A British made 9 mm sten gun and a camel coloured Maruti van was recovered from the dead. Raj Kumar was a desperate criminal who had murdered Inspector Pratap Singh Rana of Delhi Police and was wanted in many other cases.

In this encounter S/Shri U.S. Rathi, Inspector, K. G Tyagi, S.I. and Shiv Raj Singh, H.C. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 18th December 1996

No. 6/1/1/FCS & PD/96.—Shri Manohar Kant Dhyani, Member, Rajya Sabha, has been nominated to serve on the Departmentally Related Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution (996-97) w.e.f. 13th December, 1996.

KRISHAN LAL,
Deputy Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 6th January 1997

No. A. 42011/4/96-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri R. K. Arora, Joint Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI,
Under Secy

No. A. 42011/4/96-Admn.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Dhan Raj, Joint Director (Accounts) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI,
Under Secy.

No. A. 42011/4/96-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri R. C. Meena, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI,
Under Secy

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)
(C.G.F. DESK)

New Delhi, the 31st December 1996

RESOLUTION

No. Granite/3(51)/94-CGF.—Government of India have decided to extend the tenure of the Development Panel for Granite Industry constituted vide its Resolution No. Granite/3(51)/94-CGF, dated 20th December, 1994, by three months with effect from 20th December, 1996.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SAHU,
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.